uxj ifj"kn /ke'kkyk] ftyk dkxMk] fgekpy in'k d y[kkvk dk vdk{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 04@2010 l 03@2012

Hkkx&,d

1 ikjfEHkd %&

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद धर्मषाला, जिला कांगड़ा के अवधि 4/10 से 3/12 लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

Yk[kk ijh{kk/khu vof/k d nkjku uxj ifj"kn /ke'kkyk e fuEufyf[kr i/kku rFkk dk;dkjh vf/kdkjh rukr Fk%&

i/kku %&

Øe l[;k	i/kku dk uke	rukrh dh vof/k
1	श्री रणधीर सेखड़ी	28.2.2006 से 30.1.2011 तक
2	श्रीमती कमला पटियाल	2331.1.2011 से लगातार

Dk;dkjh vf/kdkjh%&

1	श्री आर0एस0 वर्मा	19.4.2001 से लगातार

¼[k½ uxj ifj"kn /keZ'kkyk] ftyk dkaxMk fgekpy izns'k ds y[kk vof/k 01-04-2010 ls 31-03-2012 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj

Øe la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	iSjk la[;k	jkf'k yk[kksa esa
1	वर्ष 1954 से आज तक पुराने, निपटारे हेतु बकाया लगभग 300 पैरों पर कोई कार्यवही न किया जाना	2	
2	ब्याज के रूप में अर्जित राषि को रोकड़ वही में न लिया जाना	7 (क)	14.14
3	नगर परिषद निधि का 80% भाग स्थापना व्यय पर खर्च किया जाना	8	
4	कर की वसूली षेष	11 (क)	116.87
5	गृहकर पर गलत छूट देने के कारण राषि का नुकसान	11 (ख)	7.80
6	किरायेदारों से किराया वसूली हेतु षेष	12	11.75
7	विभागीय स्त्तर पर सीमेन्ट जारी न करने के कारण राषि की हानि	13 (ङ)	33.00
8	राषि का दुरूपयोग	13 (च)	05.00
9	राशि के अनुचित भुगतान बारे	13 (छ)	12.00
10	अतिरिक्त मदों के भुगतान के अन्तर्गत राषि का अधिक भुगतान	13 (ज)	0.61
11	धरोहर राषि लिए बिना ही टेण्डर का स्वीकार किया जाना	13 (ज) (1) व 13 (थ) 2	
12	राशि का गलत भुगतान	16	0.15
13	नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को 12 वर्ष पूर्व दिए गए अग्रधन कुल राषि का समायोजन न किया जाना	17	0.10

2 xr vads{k.k izfrosnu&

नगर परिषद धर्मषाला से सम्बन्धित गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारे हेतु षेष पैरों के निपटारे हेतु नगर परिषद प्रषासन द्वारा कोई विषेष कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसे परिणाम नगर परिषद के लेखों के रख रखाव में कोई सुधार नही़ हुआ है। नगर परिषद के वर्ष

1954 से लकर आज तक निपटारे हेतु गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लगभग 300 पैरे बकाया है, जिनके अधिकांष गम्भीर प्रवृति के है। उदाहरण के रूप में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 के पैरा संख्या 11 में 465 बैग सीमेन्ट की सन्देहास्पद खपत तथा पैरा 12 में मैकलोड़गंज कार पार्किंग के निर्माण कार्य आंबटन में की गई राषि 34 लाख की गलती को प्रकाष में लाया गया था परन्तु नगर परिषद प्रषासन द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारे हेतु षेष पैरों पर कोई भी कार्यवाही अमल में न लाया जाना गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा जिससे अंकेक्षाण का मूल उद्देष्य ही समाप्त हो जाता है। अतः यह मामला सचिव तथा निदेषक षहरी विकास के विषेष ध्यान में इस आषय के साथ लाया जाता है कि वह गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों पर षीध्र अधिषीध्र वांन्छित कार्यवाही करने हेतु नगर परिषद प्रषासन को अवष्यक आदेष नगर परिषद प्रषासन को आवष्यक आदेष जारी करें तथा पैरों का निपटाए प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में के निपटारे हेतु षेष पैरों की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "क" पर दिया गया है।

Hkkx & nks

3 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद धर्मषाला जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण (अवधि 4/2010 से 3/2012) जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, सर्व श्री अषोक कुमार सूद (अ0अ0) श्री विरेन्द्र कुमार (क0ले0प0) तथा श्री ध्रुव राज (क0ले0प0) द्वारा दिनांक 21.8.2012 से 16.10.2012 तक के दौरान धर्मषाला में किया गया है। माह 9/2010 व 8/2011 के लेखाओं का चयन विस्तृत जॉच हेतु तथा माह 5/2010 व 5/2011 के लेखों का चयन व्यय की विस्तृत जॉच पड़ताल हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नही की गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

4 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद धर्मषाला के लेखाओं (अवधि 4/2010 से 3/2012 तक) का लेखा परीक्षा शुल्क ₹59500/– बनता है, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 षिमला –9 को भेजने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 94 दिनांक 15.10.2012 द्वारा अनुरोध किया गया है तथा जिसे कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा पन्जाब नैषनल बैंक के बैंक ड्राफ्ट संख्या 532316 दिनांक 5.11.2012 द्वारा षिमला भेज दिया गया है।

5 foRrh; fLFkfr %&

¼1½ नगर पषिद धर्मषाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा प्रस्तुत लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ok"kZ 4@2010 ls 3@2011 rd	
अथषेष	5813789.02
पावतियां	31474170.00
ब्याज	64723.00
dqy ;ksx	37352682-02
व्यय	27560052.00
अन्तषेष राषि दिनांक 31.3.2012	9792630.02
o"kZ 4@2011 ls 3@2012 rd	
अथषेष राषि	9792630.02
पावतियां	53742301.00
ब्याज	190279.87
dqy ;ksx	63725210-89
व्यय	56270712.50

अन्तषेष राषि दिनांक 31.3.12 7454498.39

vUr'k"k dk fooj.k%&

1	दिनांक 31.3.2012 को पी0एन0बी0 कोतवाली बाजार के बचत खाता संख्या 0136000100281291 में जमा राषि	158677.00
2	दिनांक 31.3.2012 को पी0एन0बी0 कचहरी अडडा के खाता संख्या 3373000100035036 में जमा राषि	5889184.67
	dy ;kx	6047861-67
	दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही का षेष	7454498.39
	अन्तर	1406636.72

cd lek/kku fooj.k %&

दिनांक 31.03.12 को रोकड़ बही के अनुसार षेष जमा राषि 7454498.39

tek %&

चैक जो जारी किये गये परन्तु दिनांक 31.3.10 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नही हुए।

d0l0	pd l[;k	fnukd	jkf'k
1.	598450	12.6.03	3650.00
2.	579669	02.11.04	2082.00
3.	574670	02.11.04	5000.00
4.	769180	20.5.06	3960.00
5.	159776	15.11.06	500.00
6.	245651	05.3.07	4000.00
7.	दिनांक 31.307 को रोकड़ बही अनुसार चैक बैंक में प्रस्तुत नही हुऐ।		22076.00
8.	524957	28.6.2011	3900.00
9.	469208	8.9.2011	2880.00
10.	471703	2.2.2012	143491.00

11.	322981	6.10.2010	7500.00	
12.	319588	22.4.2010	360.00	
13.	475757	26.3.2012	7892.00	
14.	160432	20.3.2012	3669.00	
15.	175553	20.3.2012	50000.00	
			....	
			260960.00	¼$½ 260960-00

2 आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि नगर परिषद निधि के बैंक खातें में जमा करवाई गई।

1	10.6.2010	640.00	
2	8.6.2010	460.00	
3	Ch. No. 151874 dt. 28.5.2010	2000.00	
4	24.4.2010	440.00	
5	22.11.2010	11150.00	
6	15.3.2010	710.00	
7	21.1.2012	400.00	
8	8.2.2012	5390.00	
9	गत अंकेक्षण से सम्बन्धित	90854.00	
		112044.00	(+) 112044.00

3 GPF से सम्बन्धित राषि नं0 प0 निधि खाते में जमा करवाकर भुगतान की गई परन्तु रोकड़ वही के आय पक्ष में इसका इन्द्राज नहीं लिया गया।

Ø0 l0	fnukd	jkf'k	
1	9.2.2011	23760.00	
2	4/2010	7000.00	
		....	
		30760.00	(+)30760.00

4 नगर परिषद खाते में 31.3.2012 तक सीधी जमा राषियॉ जिनका इन्द्राज रोकड़ वही में नहीं लिया गया।

1	16.3.2011	1500.00	
2	7.10.2011	658.00	
		....	
		2158.00	(+)2158.00

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार नगर परिषद निधि से सम्बन्धित भुगतान जोकि IDSMT निधि खाते से निकाले गये तथा जिनका समायोजन दिनांक 31.3.2012 तक नहीं किया गया	(+) 14168.00
योग	7874588.39

ekbu l%&

1	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार पिछला अन्तर	(–)1159010.72
2	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार IDSMT से सम्बन्धित भुगतान जोकि नगर परिषद खाते से किाले गये तथ जिसका समायोजन दिनांक 31.3.2012 तक नहीं किया गया।	(–)8446.00
3	नगर परिषद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियॉ जोकि गलती से IDSMT खाते में जमा हो गई।	

Ø0 l0	fnukd	jkf'k
1	11.10.2010	3815.00
2	1.1.2011	11273.00
3	1/2011	2000.00
4	3/2012	9000.00
5	27.3.2012	214700.00
6	12.4.2010	24920.0
7	10.10.2010	21408.00
8	11.5.2010	9683.00

296799-00

4 नगर परिषद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियॉ जोकि दिनांक 31.3.2012 तक नगर परिषद निधि में जमा नहीं हुई।

Ø0 l0	fnukd	jkf’k	
1	344632 दिनांक 23.3.2012	27490.00	
2	019068 दिनांक 29.3.2012	39815.00	
3	019068 दिनांक 29.3.2012	410.00	
4	511919 दिनांक 23.3.2012	15855.00	
5	39770 दिनांक 29.3.2012	8990.00	
6	754526 दिनांक 30.3.2012	8180.00	
7	261065 दिनांक 29.3.2012	147943.00	
8	278604 दिनांक 20.3.2012	69975.00	
9	889608 दिनांक 25.3.2012	5000.00	
10	833643 दिनांक 26.3.2012	8100.00	
11	दिनांक 12.3.2011	1000.00	
		....	
		332758.00	(–)332758.00
		....	
	बैंक Charges बैंक द्वारा खाते से सीधे निकले गये जिन्हें 31.3.2012 तक रोकड़ वही पर दर्ज नही किया गया (दिनांक मार्च 2011)		(–)24.00
	दिनांक 10/10 में बैंक खाते से चैक संख्या 3844021 द्वारा निकासी जिसे रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 तक दर्ज नहीं किया गया		(–)29500.00

दिनांक 31.3.2012 तक बैंक खाते में कम जमा राषियॉ			
1	79.00		
2	110.00		
	....		
	189.00		(–)189.00
दिनांक 31.3.2012 को बैंक खातों में षेष जमा राषि			6047861.67
1 PNB K.Adda account No. 337300010035036	5889184.67		
2 PNB K.B.D/Shala No. 0136000100281291	158677.00		
	6047861.67	6047861.67	

¼[k½ vkbZ0Mh0,l0,e0Vh0 fuf/k&

विवरण	2010–2011	2011–2012
अथषेष राषि	565479.70	1479473.70
पावतियां	107886.00	917255.00
ब्याज	31984.00	69590.00
कुल योग	1676249.70	2466318.70
व्यय	196776.00	291936.00
अन्तषेष	1479473.70	2174382.70
दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तषेष राषि		2174382.70

vUr'k"k dk fooj.k

1	दिनांक 31.3.2012 को पी0एन0बी0 के बचत खाता संख्या में जमा राषि	2382097.70
	अन्तर	207715.00

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही के षेष तथा बैंक षेष मे अन्तर की राषि को निम्न विवरणानुसार बैंक समाधान विवरण द्वारा स्पष्ट किया गया है।

cSd lek/kku fooj.k ¼fnukad 31-3-2012½

fooj.k	jkf'k	jkf'k
दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही के अनुसार षेष जमा राषि		2174382.70
जमा (+)		

(1) दिनांक 31.3.2012 तक जो चैक जारी किए गये परन्तु भुगतान हेतु दिनांक 31.3.2012 के पश्चात प्रस्तुत हुये।

	pSd l0	fnukad		
1	571987	10.1.05	12000	
2	571988	10.1.05	2000	
3	254959	19.9.08	4500	
4	389669	21.3.2012	10000	
			28500	28500

2 नगर परिषद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियों जोकि गलती से IDSMT निधि खाते में जमा हो गई।

Øe0 l0	दिनांक	
1	18.4.10	24920
2	11.5.2010	9683
3	10.10.2010	21408
4	11.10.2010	3815
5	1.1.2011	11273
6	11/2011	2000
7	3/2012	9000

	8 27.3.2012	214700	
			296799
3	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार IDSMT निधि से सम्बन्धित भुगतान जोकि नगर परिषद खाते में से निकाले गये तथा जिनका समायेाजन दिनांक 31.3.12 तक नहीं किया गया।	8446	
4	दिनांक 31.3.12 को कम जमा राषि	182	8446
			182
			333927
	ekbu l ¼&½		
(1)	IDSMT निधि से सम्बन्धित प्राप्तियॉ जिन्हें नगर परिषद निधि खाते में जमा करवा दिया गया तथा जिनका समायेाजन दिनांक 31.3.12 तक नहीं करवाया गया।		

Ø0 l0	fnukd		
1	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार	90854	
2	10/2010	3540	
3	22.11.2010	11150	
4	15.3.2011	710	
5	21.1.2012	400	
6	8.2.2012	5390	
			112044

2	नगर परिषद निधि खाते से सम्बन्धित भुगतान जो कि IDSMT निधि खात से निकाले गये (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार)	14168	
			14168
			126212
			2382097.70

दिनांक 31.3.2012 को बैंक पास बुक के अनुसार षेष जमा राषि	2382097.70
अन्तर	Nil

¼x½ lgk;d vuqnku fuf/k&

विवरण	2010—2011	2011—2012
अथषेष राषि	32088242.19	27593901.19
पावतियां	44931555.00	32124391.00
ब्याज	1007595.00	332414.00
कुल योग	78027392.19	60050706.19
व्यय	50433491.00	27700688.00
अन्तषेष राषि	27593901.19	32350018.19
दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तषेष राषि		32350018.19

अन्तषेष का विवरणः—

(1) दिनांक 31.3.12 को निम्न विवरणानुसार बैंक खातो मे जमा राषि	11627003.00

Ø0 l0	cSd dk uke	[kkrk l[;k	tek jkf'k
1	पी0एन0बी0 (के0बी)		8223185.00
2	पी0एन0बी0 (के0बी)		997784.00
3	के0सी0सी0 (के0बी)		489974.00
4	के0सी0सी0 (के0बी)		245320.00
5	पी0एन0बी0 (कचहरी अडडा)		9092.00
6	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक		34379.00
7	के0सी0सी0 (के0बी)		6704.00
8	बैंक आफ इण्डिया		5102.00
9	कोषागार कार्यालय		4602.00
10	जे0 एण्ड के0 बैंक		1571021.00

11	जे0 एण्ड के0 बैंक	39840.00
	d|y jkf’k	11627003-00
(2)	दिनांक 31.3.2012 को निम्न विवरणानुसार विभिन्न बैंकों में निवेषित राषि	18922250.00

Ø0 l0	[kkrk l[;k	cid dk uke	fuosf'kr jkf’k
1		कां0के0 सहाकारी बैंक	300000
2		ओ0बी0सी0 बैंक	5185700
3		कां0के0स0 बैंक दाड़ी	1050000
4		का0के0स0 बैंक (के0बी)	1979000
5		कां0के0स0 बैंक दाड़ी	4365000
6		जे0के0बैंक	4942550
7		का0स0 बैंक (के0बी0)	1100000
		कुल योग	18922250

बैंक में 31.3.2012 को जमा कुल राषि	30549253
रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 को जमा षेष राषि तथा पास बुक में षेष जमा राषि में अन्तर	1800765.19

अन्तर के कारणों को निम्न विवरणानुसार बैंक समाधान विवरण में दर्षाया गया है।

cid lek/kku fooj.k fnukd 31-3-2012

	fooj.k	jkf'k ₹	jkf'k ₹
	दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही के अनुसार षेष रायिा		32350018.19
माईनस (–)	(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/98 से 3/07 में सहायक अनुदान निधि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण में दिया गया अन्तर	2093396.61	2093396.61
	(2) नग परिषद निधि खाते से		

	सम्बन्धित चैक जिसका भुगतान सहायक अनुदान निधि खाते से किया गया		
	चैक सं0 271403 दिनांक 2.2.12	143491.50	143491.58
जमा (+)	(1) चैक जो जारी किये गये परन्तु दिनांक 31.3.2012 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुये।		

Ø0 l0	pd l0		
1	534747	151222	
2	913696	163988	
3	913697	120913	436123
			30549253

दिनांक 31.3.2012 को बैंक में जमा राषि	3054253

¼?k½ ,l0t0,l0vkj0okb0 fuf/k&

विवरण	वर्ष 2010–2011	2011–2012
अथषेष राषि	233383.00	414340.00
पावतियां	206750.00	80000.00
ब्याज	–––	––––
कुल योग	440133.00	494340.00
व्यय	25793.00	61113.00
अन्तषेष राषि	414340.00	433227.00
अन्तषेष राषि		433227.00

अन्तषेष का विवरणः–

(1) दिनांक 31.3.12 को पी0एन0बी0 के बचत खाता सं0 3373002100007709 में जमा राषि	433227.00
कुल योग	433227.00

6 foŸkh; fLFkfr d voykdu ij fuEufyf[kr vfu;ferrk,¡ ikbZ xbZ ftu dk fuiVkjk ikFkfedrk d vk/kkj ij djok;k tk;A

¼1½ fnukd 10@2010 pd l[;k 3844021 ₹29500

नगर परिषद निधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के अवलोंकन पर पाया गया कि माह अक्तूबर 2010 में चैक संख्या 3844021 द्वारा ₹29500 की निकासी बैंक खाते से की गई। इस भुगतान को रोकड़ वही पर अंकेक्षण अवधि के दौरान दर्ज नहीं किया गया इस राषि के बारे में बताया गया कि यह राषि वर्ष 2009 से सम्बन्धित है तथा इस राषि से सम्बन्धित चैक को सम्बन्धित फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः इस चैक को पुनः नवीनीकरण किया गया जिसे अब बैंक खाते से निकाला गया है। अगर यह राषि वर्ष 2009 से सम्बन्धित है तो इसका उल्लेख गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में नगर परिषद निधि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पर भी दर्ज होना था जबकि वहां इस का उल्लेख नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009 मं यह राषि बैंक से निकाल ली गई तथा अब इसकी दोबारा निकासी की गई प्रतीत होती है। अतः इस सम्बन्ध में विभागीय छानबीन की जाए तथा दोहरे भुगतान की स्थिति में ₹29500/–की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

¼2½ ₹180@&de tek djuk&

जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹180/–रोकड़ वही पर तो दर्ज किये गये परन्तु इन्हें बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया। इस कम राषि की वसूली उचित माध्यम से करके दिनांक 3.11.2011 को सम्बन्धित खाते मे ंजमा करवा दिया गया ळै।

¼3½ ₹120@& de tek djus ckj&

निम्न विवरणानुसार राषियॉ नगर परिषद से प्राप्त करके रोकड़ वही में तो दर्ज की गई परन्तु इंन्हें सम्बन्धित खाते मे ंजमा नहीं करवाया गया।

fnukd	jkf'k
30.8.22010	90

6.12.2010	40
27.12.2010	80
	210

उपरोक्त वर्णित कम जमा करवाई गई राषियों की वसूली उचित माध्यम से करके जी–8 संख्या 336/39 दिनांक 3.11.'2012 द्वारा सम्बन्धित खाते में जमा करवा दयिा गया है।

¼4½ ,l0t0,l0vkj0okbZ fuf/k [kkr e C;kt vftr u djuk¼&

नगर परिषद के एस0जे0एस0आर0वाई निधि से सम्बन्धित नैषनल बैंक के खाता संख्या 3373002100007709 पर खाता खोलने की तिथि (वर्ष 1998) से आज तक लगभग 14 वर्षों में कोई ब्याज जमा राषि पर अर्जित नहीं किया गया है तथा जिस सम्बन्ध में बताया गया कि यह खाता बचत खाता न होकर एक चालू खाता (Current Account) है। अतः इस पर कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ है। लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया जा सका के किन परिस्थितियों में इस राषि को चालू खाते में रखा गया इस बारे सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई अंकेक्षण अवधि के दौरान तथा पहले इस खाते में औसतन हर समय लगभग तीन लाख रूप्ये जमा रहें, अगर यह राषि 14 वर्षों में (वर्ष 1998 से 2012 तक) इस राषि पर 4% की दर से लगभग ₹170000/–ब्याज अर्जित होना था। अतः उपरोक्त निधि से सम्बन्धित राषि को चालू खाते में जमा करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ब्याज के रूप में हुई हानि की विभागीय स्त्तर पर वास्तविक गणना करके प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7 fuos'k ¼&

दिनांक 31.3.2012 को ₹18922250/–का निवेष सहायक अनुदान निधि खाते से किया गया दर्षाया गया है किये गये निवेष की राषि का विस्तारपूर्व विवरण निम्न प्रकार से हैः–

d0l0	,Q0Mh0 vkj0 l0	cSd dk uke	fuos'k dh frfFk	fuosf'kr jkf'k	fVIi.kh
1.	288763	का0के0स0 बैंक	7.4.2005	300000	
2.	282543	का0के0स0 बैंक	23.1.2010	4365000	
3.	650921	का0के0स0 बैंक	8.10.2009	1050000	

4.	700158	का0के0स0 (के0बी)	17.1.2011	1979000
5.	853039	का0के0स0 (के0बी)	26.3.12	1100000
6.	365063	जे0 एण्ड के0 बैंक	13.9.11	4942550
7.	884199	ओ0बी0सी0 बैंक	6.12.07	5185700
			d|y ;kx	18922250

¼d½ ₹1414013@&C;kt dk :i e vftlr vk; dk jkdM ogh e u fy;k tkuk&

लेखा परीक्षा में जॉच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त विवरण अनुसार विभिन्न बैंकों में निवेषित राषियॉ लगभग तीन से पॉच वर्ष पहले की है तथा इन राषियों पर अर्जित किये गये ब्याज की राषि को उनमें जोड़ा नहीं गया है जबकि वास्तव में दिनांक 31.3.2012 को विभिन्न बैंक खातों में निवेषित राषियों की वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार से है:–

Ø0 l0	,Q0Mh0 vkj0 l0	fuos'k dh frfFk	fuosf'kr jkf'k	ifjiDork dh frfFk	ifjiDor k eY;	C;kt nj	fVIi.kh
1	288763	16.4.2011	599440	16.4.2012	656841	9.25 %	एक वर्षीय
2	282543	30.7.2011	4812611	30.12.12	5273659	9.25 %	
3	650921	30.7.2011	1177304	30.7.2012	1290090	9.25 %	एक वर्षीय
4	700158	17.1.2011	1979000	17.1.12	2147388	8.25 %	एक वर्षीय
5	853039	26.3.12	4942550	26.3.13	1205334	9.25 %	एक वर्षीय
6	3540050301 365063	13.9.11	5725358	13.9.12	5220717	9.25 %	एक वर्षीय
7	0725156	6.8.11		6.8.12	6295098	9.60 %	एक वर्षीय
			20336263				

अन्तर 20336263–18922250= 1414013

उपरोक्त विवरणों के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को निवेषित वास्तविक राषि तथा दर्षाई जा रही राषि में ₹1414013/—का अन्तर है जिसका मुख्य कारण निवेषित की गई राषियों पर अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में दर्ज न करना तथा पुनः निवेषित राषियो ंमें जोड़कर दिखाया न जाना है। विभिन्न निवेषित राषियों पर निम्न विवरणानुसार ब्याज अर्जित किया गया जिसे रोकड़ वही पर दर्ज करके निवेषित राषियों में जोड़कर नहीं दर्षाया जा रहा है। यह अनियमित है ब्याज से प्राप्त आय को रोकड़ वही में समय समय पर दर्ज किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼1½ ₹300000/— का निवेष दिनांक 3.5.2000 को 46 दिन हेतु का0के0सहकारी बैंक मे ंकिया गया जिसकी परिपक्वता राषि दिनांक 18.6.2000 को ₹302268/— थी तत्पष्चात समय—2 पर सावधि खाते मे ंजमा राषि को बयज सहित विभिन्न अवधियों में निवेषित किया जाता रहा परन्तु ब्याज के रूप में प्राप्त राषि को कभी भी रोकड़ वही पर दर्ज नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान अंकेक्षण अवधि में यह राषि ₹300000/—से बढ़कर ₹599440/—हो गई परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि तक भी ₹300000/—पर अर्जित ब्याज ₹299440/—को रोकड़ वही पर दर्ज नहीं किया गया है।

¼2½ ₹4365000/—का निवेष दिनांक 23.1.2010 को एक वर्ष हेतु का0के0सं0 बैंक में किया गया था जिसका परिपक्वता मूल्य ₹4644273/—था नियमानुसार ब्याज की ₹279273/—का रोकड़ वही के आय पक्ष पर दर्ज न करके इसे पुनः निवेषित किया जाना था। जबकि परिपक्वता की तिथि से लगभग 6 माह बाद इसे ब्याज सहित ₹4812611/—से पुनः निवेषित कर दिया गया इस प्रकार से ब्याज की राषि (₹4812611—4365000) ₹447611/—को रोकड़ वही पर दर्ज किये बगैर इसे निवेषित कर दिया गया।

¼3½ ₹1050000/—का निवेष दिनांक 8.10.2009 को एक वर्ष हेतु का0के0सं0 बैंक में किया गया जिसकी परिपक्वता राषि दिनांक 8.10.10 को ₹1120329/—थी। नियमानुसार अर्जित ब्याज ₹70329/—की प्रविष्टि रोकड़ वही में आय पक्ष में न लेकर इसे पुनः निवेषित किया गया जबकि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त निवेषित राषि को लगभग 10 माह 20 दिन पश्चात दिनांक 30.7.2011 को परिपक्व करवा कर ₹1177304/—पुनः निवेषित किया गया। इस प्रकार ब्याज की कुल राषि (1177304—1050000)₹127304/—को रोकड़ वही पर दर्ज किये गये बगैर इसे निवेषित कर दिया गया ।

¼4½ ₹1979000 / –का निवेष दिनांक 17.1.2011 को एक वर्ष के लिए का0के0 सहकारी बैंक में किया गया जिसका परिपक्वता मूल्य दिनांक 18.1.2012 को ₹2147388 / –था नियमानुसार परिपक्वता पर मिलने वाली राषि में ब्याज की राषि को रोकड़ वही पर दर्ज करके उसी दिन पुनः निवेषित किया जाना अपेक्षित था जबकि इस राषि को परिपक्वता तिथि को न भुना कर लगभग 3½ माह देरी से भुना कर दिनांक 30.4.2012 ₹2151514 / –प्राप्त करके पुनः निवेषित कर दिया गया इस प्राकर से ब्याज के रूप में प्राप्त हुई राषि (2151514–1979000)₹172514 / –को रोकड़ वही पर दर्ज नहीं किया गया।

¼5½ ₹5185700 / –का निवेष दिनांक 6.12.2006 को 42 मासों के लिए ओ0बी0सी0 बैंक में किया गया। निवेषित राषि का परिपक्वता मूल्य दिनांक 1.5.2010 को ₹6788994 / –था। जिसे भुना कर ₹1500000 / –को रोकड़ वही पर दर्ज करके षेष राषि (6788994–1500000)₹5288994 का पुनः निवेष दिनांक 1.5.2010 को उक्त बैंक खाते में कर दिया गया। तथा जिसकी परिपक्ता की तिथि दिनांक 1.5.2011 थी जबकि नगर परिषद द्वारा इसे परिपक्वता की वास्तविक तिथि का न भुना कर लगभग तीन माह बाद दिनांक 6.8.11 को ₹5725358 / –से भुना कर निवेष कर दिया गया। इस प्रकार ब्याज की राषि (5725358–518700)₹539658 / –को नियमानुसार रोकड़ वही पर दर्ज न करके सीधे ब्याज की राषि को जोड़कर कुल राषि ₹5725358 / –को एक वर्ष के लिए निवेषित कर दिया गया।

इस प्रकार से क्रम संख्या 1 से 5 पर (उपरोक्त) वर्णित ब्याज के निम्न विवरणानुसार अन्तर की राषि को दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही पर कम दर्षाया जा रहा है इस अन्तर की राषि ₹1414013 / –को अंकेक्षण अवधि के दौरान दिना / माह 10 / 2012 में रोकड़ वही की आाय की और दर्ज कर दयिा गया है ब्याज के रूप में कम दर्षाई गई राषि का विवरण निम्न प्रकार से है।

Ø0 l0	jkf'k
1	299440
2	447611
3	127304
4	539658
dqy jkf'k	1414013

अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में जब भी कोई निवेषित राषि परिपक्व हो उस पर अर्जित ब्याज को परिपक्वता की तिथि को रोकड़ वही में ब्याज के रूप में अर्जित आय दर्षाकर इन्द्राज किया जाये तदानुसार ही राषि निवेष की जाए ताकि रोकड़ वही में निवेषित राषि का वास्तविक स्थिति परिलखित हो सके।

8 LFkkiuk O;; %&

नगर परिषद द्वारा अपनी आय को अधिकांष भाग स्थापना व्यय पर खर्च दिया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

o"kZ	dqy vk;	LFkkiuk O;;	vk; dk %
2010–11	28319245	21899372	77.33%
2011–12	37611752	30247546	80.42%

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल आय का 80% राषि केवल स्थापना व्यय पर ही खर्च किया जा रहा है जिसे कम करने बारे विषेष प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि विकास कार्यो हेतु अधिक राषि प्रयोग में लाई जा सके। अतः यह मामला निदेषक, षहरी विकास व परिषद अधिकारियों के विषेष ध्यान में लाया जाता है ताकि स्थापना व्यय को कम करने हेतु अविलम्ब उच्च स्तरीय कदम उठाए जाएं। नगर परिषद के पास अपना पूरा निर्माण विभाग है जिसमें अधिषाषी अभियन्ता से लेकर 2 कनिष्ठ अभियन्ता, 2 ड्राफ्ट मैन, 7 मिस्त्री, 2 मेट, 5 सुपरवाईजर व 69 मजदूर है परन्तु नगर परिषद द्वारा सभी छोटे–छोटे कार्य भी ठेकेदारों द्वारा करवाए जाते है अगर इन कार्यो को विभागीय तौर पर करवाया जाऐ तो स्थापना व्यय लगभग आधा रह जाएगा।

अतः स्थापना व्यय को कम करने हेतु अविलम्ब उच्च स्तरीय कदम उठाए जाए व की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

9 ¼d½ LFkkiuk O;; ls lEcfU/kr vfHkys[k ds j[k j[kko ds lUnHkZ esa%&

अभिलेख की जांच में पाया गया कि परिषद द्वारा स्थापना व्यय से सम्बन्धित अभिलेख के रख रखाव में नियमानुसार उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है कोई स्थापना जॉच रजिस्टर/वेतन रजिस्टर (E.C.R) नहीं बनाया गया है कर्मचारियों का सीधा वेतन वाऊचर बनाकर वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। किसी भी कर्मचारी का वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कोई आदेष नियमानुसार संषोधित वेतनमान जारी नहीं किए जाने वार्षिक वेतन वृद्धि से सम्बन्धित आदेष जारी किये जाने अनिवार्य है जोकि एक गम्भीर मामला है। इसके अतिरिक्त बिना सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए कर्मचारी को तदानुसार भुगतान कर दिया जाता है गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2007 से 3/2010 के पैरा 23 में भी इस विषय को उठाया गया था, परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अभी भी सफाई कर्मचारियों की सेवा पंजिकाऐं संषोधित वेतनमानों का इन्द्राज उपरान्त ठीक नहीं की गई है। अधिकांष कर्मचारियो के अर्जित अवकाष के साथ कोई प्रस्थान सूचना व कार्य ग्रहण सूचना साथ संलग्न नहीं है। इस विषय को परिषद कार्यकारी अधिकारी के साथ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39 दिनांक 29.8.2012 द्वारा उठाया गया जिसके उत्तर मे ंपरिषद कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 1079 दिनांक 6.9.2012 द्वारा यह आष्वासन दिया गया कि अंकेक्षण के दौरान ही वांन्छित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि स्थापना व्यय सेस म्बन्धित अभिलेख के नियमानुसार व उचित रख रखाव हेतु अविलम्ब उच्च स्त्तरीय कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼[k½ ¼1½ <u>lsok fuo`Rr isU'ku Hkksxh deZpkfj;ksa dk isU'ku forj.k lEcfU/kr vfHkys[k dk j[k j[kko ckjs</u> %&

वाऊचर संख्या 3 माह 5/2011 के अन्तर्गत परिषद के 21 पैन्षन भोगी कर्मचारियों के माह अप्रैल 2011 में पैन्षन के रूप में ₹133953/–का भुगतान किया गाय। अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि इन पैन्षन भोगी कर्मचारियो से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नगर परिषद द्वारा तैयार नहीं किया गया है उनकी सेवा पंजिकाओं मे ंसलग्न (पी0पी0ओ0) पैन्षन भुगतान आदेष से सीधा वाउचर बना कर भुगतान कर दिया जाता है जबकि उसका कहीं ईन्द्राज नहीं लिया जाता है, समय समय पर पैन्षन का स्वीजन (पुनः संषोधन) से सम्बन्धित कोई आदेष साथ संलग्न नही है जबकि पैन्षन संषोधन कर उन्हें भुगतान किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभिलेख जैसे पैन्षन भुगतान रजिस्टर इत्यादि न बनाने का कारण स्पष्ट किया

जाये तथा अविलम्ब तैयार कर उसमें पूरा ईन्द्राज करना सुनिष्चित करे। की गई कार्यवाही आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼2½ षहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0(बी0)1—79 दिनांक 25.4.2000 के नियम 3 पैन्षन और उपदान निधि की स्थापना के उपनियम (3) और (4) के अनुसार, "नगरपालिका पैन्षन और उपदान निधियों हेतु कर्मचारियों के वेतन के मासिक भुगतान का क्रमषः पैन्षन के बदले में 12% की दर से और उपदान के बदले में 5% की दर से नगर पालिका अभिदान करेगी। पैन्षन और उपदान निधि का उपयोग केवल पैन्षन और परिवारिक पैन्षन की सांराषित मूल्य और उपदान के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। जॉच में पाया कि नगर परिषद में इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है और न ही कोंई निधि तैयार की गई है। पैन्षन से सम्बन्धित सभी भुगतान म्युनिसिपल फण्ड से किया जा रहा है जो नियमों के पूर्ण विरूद्ध गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 19 में भी इस विषय को उठाया गया था। परन्तु नगर परिषद प्रषासन द्वारा अपनी कार्यवाही को यह तर्क देकर उचित ठहराया गया कि पैन्षन फण्ड को भी राषि म्यूनिसिपल फण्ड से जाऐगी। अतः एक अलग से फण्ड न खोलकर पैन्षन का भुगतान सीधा म्यनिसिपल फण्ड से किया जारहा है जो प्रदेष सरकार के आदेष व नियमों की अवहेलना है। अतः इस प्रक्रिया को अविल्म्ब रोका जाए तथा नियमानुसार अविलम्ब पैन्षन फण्ड का निर्माण कर उससे पैन्षन का भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा प्रदेष सरकार/निदेषक षहरी विकास से इस सन्दर्भ में कार्योतर स्वीकृति प्रापत कर की गई कार्यवाही को नियमित करवाया जाये व अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

10 ¼d½ <u>deZpkfj;ksa dh lsok iqfLrdkvksa esa vfu;fer :i esa vftZr vodk'k tek djuk rFkk O;fDrr vodk'k dh lsok iqfLrdkvksa esa ntZ u djuk</u> ½&

अभिलेख की जांच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कर्मचरियों के अवकाष खातों में अनियमित रूप से अर्जित अवकाष अधिक जमा किये गये तथा कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्तियों में संलगित अवकाष आवेदको के सम्बन्धित अवकाष खातों से कम नहीं गया है जिसके कारण इन कर्मचारियों के अवकाष खातों में अनियमित रूप से अधक अवकाष के दिन बकाया दिखाये गये है निम्नविवरणाुसार कर्मचरियों मि ंसे श्री कष्मीर सिंह ही अभी तक सेवा में है। षेष दो कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके है तथा इन्हें Leave Encashment का भुगतान किया जा चुका है। कर्मचारियों के खातों में अवकाष के दिवसों का अधिक जमा करना तथा अवकाष

व्यतीत करने के पश्चात छुट्टी घटाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः' अनियमित रूप से अवकाषों को खाते में जोड़ना तथा व्यतीत करने के पश्चात खाते से अवकाषों के न झघटाए जाने के कारण स्पष्ट किया जाये और इन कर्मचरियों की सेवा पंजिकाओं में अवकाष खातों की पुनः जांच करके नस्तियों में व्यतीत किये गये दिवसों के साथ मिलान करके सही स्थिति दर्षाई जाए। सेवा निवृत कर्मचारियों को Leave Encashment के अधिक भुगतान की स्थिति मे वसूली उनके पैन्षन खाते से की जाये तथा कष्मीर सिंह के अवकाष खाते की पुनः गणना करके इसमे अधिक/कम जमा अवकाष के दिवसों पर वांन्छित कार्यवाही की जाये। जिन कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में अधिक अवकाष जमा किये गये है उनका विवरण निम्नलिखित है।

¼1½ d'ehj flag

Ik0 l0	vof/k	ftrus fnu vf/kd vodk'k tek gqvk	vodk'k d ckn **Debit** u djuk	fVIi.kh
35	1.7.2000 से 30.7.2000	15 दिन	....	दौबारा Credit कर दिया गया
66	17.1.90 से 25.1.90		09 दिन	
118	2.12.94 से 8.12.94		07 दिन	
118	26.9.95 से 30.9.95		07 दिन	सेवा पंजिका में दर्ज नहीं
125	1.12.97 से 06.12.97		06 दिन	किया गया

¼2½ Jh txnh'k jke

Ik0 l0	fnukd	vf/kd vftZr vodk'k tek djuk	vodk'k d ckn Nqêh dk **Debit** u djuk	fVIi.kh
46	1.7.2004 से 31.12.2004	15 दिन	....	दौबारा से Credit

				कर दिया गया
46	01.01.05 से 31.12.05	30 दिन	....	
46	7.11.08 से 04.12.08	02 दिन		
100	23.5.94 से 06.06.94		15 दिन	प्रार्थना पत्र
124	14.05.03 से 05.06.03		20 दिन	फाईल में लगे हैं परन्तु सेवा पंजिका में दर्ज नहीं किये गये है।
127	07.07.04 से 16.07.04		10 दिन	

¼2½ Jh fd'kk jke

94	14.11.94	04 दिन	....	अधिक Credit कर दिये गये
94	17.11.94	02 दिन	....	
96	11.11.96	10 दिन		
115	24.9.92 से 02.10.92		09 दिन	सेवा पंजिका में
184	09.09.09 से 18.09.09		10 दिन	दर्ज नहीं किया गया
195	21.12.09 से 25.01.10		30 दिन	
199	20.4.10 से 30.4.10		11 दिन	

¼[k½ <u>vftZr vodk'k dh fnu deZpkfj;ksa dks okf"kZd osru of) djuk tkuk</u> ½&

निम्न वर्णित कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाष पर होने पर भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर दी गई व तदानुसार भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार अगर कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के दिन अवकाष पर हो तो उन्हें अवकाष उपरान्त कार्य ग्रहण करने के दिन से देय

है। अतः कर्मचारियों को गलत वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के कारण जो गलत/अधिक भुगतान किया गया है।

Ø0 l0	deipkjh dk uke in	Okkf"kd oru of) dh frfFk	vftr vodk'k dk dkj.k n; frfFk	Okkf"kd oru of)	dy vf/kd Hkqxrku dh xbl jkf'k
1.	श्री अनिल कुमार स्पु0 किषन चन्द बेलदार	1.8.2010	14.8.2010	राशि 6590 से ₹6790	122
2.	श्री कुलदीप चन्द स्पु0 सरन दास बेलदार	1.8.2011	2.8.2011	राशि 6790 से ₹7000	11

उक्त अधिक भुगतान की गई को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके परिशद खाते में जमा करवाया जाए। भविष्य में विषेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक कर्मचारी को वेतन वृद्धि नियमानुसार ही दी जाए।

¼2½ अभिलेख की जॉच में पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियों को उनकी स्थाई न्युक्ति उपरान्त कार्य ग्रहण दिवस से नियमानुसार वेतन न देकर 1 दिन पहले ही से वेतन भुगतान कर दिया गया अर्थात ₹725/–का अधिक भुगतान किया गया।

Ø0 l0	deipkjh dk uke	in	LFkkbl U;qfDr vkns'k l0	dk;l xg.k djus dh frfFk	ftl fnu ls iFke oru Hkqxrku	vf/kd Hkqxrku dh xbl jkf'k
1	अमर सिंह	मिस्त्री	3408 दिनांक 21.8.2007	23.8.2007 (FN)	22.8.2007	275
2	रमेश चन्द	मिस्त्री	3430 दिनांक 21.8.2007	22.8.2007	22.8.2007	275

				(AN)		
3	जोगिन्द्र सिंह	मिस्त्री	3462 दिनांक 21.8.2007	22.8.2007 (AN)	22.8.2007	275
						725

अतः वर्णित राषि को वसूल कर परिषद निधि में जमा किया जाए

¼x½ नगर परिषद द्वारा आदेष संख्या 3587 दिनांक 21.8.2007 के अन्तर्गत श्री देव राज पु0 तारा चन्द को परिषद में स्थाई कर्मचारी के रूप में बेलदार के पद पर न्युक्ति प्रदान की गई। श्री देवराज द्वारा दिनांक 1.9.2007 को बेलदार के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया गया इस प्रकार कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष उपरान्त दिनांक 1.9.2008, 1.9.209 1.9.2010 व 1.9.2011 को देय थी परन्तु जॉच में पाया गया कि कर्मचारी को वर्ष 2009 से वार्षिक वेतन वृद्धि 1.9.2009 से न देकर माह 1.8.2009, 1.8.2010 व 1.8.2011 से दी गई। इस प्रकार कुल ₹821/—का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है।

ekg	osru of) tk iznku dh xbZ	vUrj	dqy vf/kd Hkqxrku dh xbZ jkf'k
8/2009	₹6200 से ₹6390	₹190+देय भत्ते	241
8/2010	₹6390 से ₹6590	₹200+ देय भत्ते	290
8/2011	₹6590 से ₹6790	₹200+ दे भत्ते	290
			821

अतः अधिक भुगतान की गई राषि को वसूल कर व परिषद निधि में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाये।

¼?k½ अभिलेख की जॉच मे पाया गया कि श्रीमति षोभना (लिपिक) को उनके सी0पी0एफ0 खाते से माह जून 2010 में ₹13000/—का अग्रधन प्रदान किया गया जिसकी वसूली 24 किष्तों में की जानी अपेक्षित थी। परन्तु नगर परिषद द्वारा माह अगस्त 2010 से दिसम्बर 2011

तक 17 किष्तों की वसूली उपरान्त यह वसूली रोक दी गई इस वसूली को राके जाने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा षेष राषि ₹3650/–की वसूली एक मुष्त कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

11 x'gdj dh olwyh ckjs %&

¼d½ अभिलेख कि जांच मे पाया गया कि नगर परिषद धर्मषाला में दिनांक 31.3.12 तक ₹11687720/–की वसूली गृहकर के रूप में बकाया है। यह राषि वर्षवार लगातार बढ़ रही है तथा इस की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे है। यह मामला गत अंकेक्षण पैरा संख्या 17 में भी उठाया गया है इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा कोई विषेष कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। जो राषि सरकारी विभागों से वसूली जानी है। उस का मामला विभागाध्यक्षों से उठाया जाये। दिनांक 31.3.2012 तक वसूली हेतु बकाया राषि का विवरण निम्नलिखित है।

vof/k 31-3-12 rd	fuft Hkouks ls cdk;k	ljdkjh Hkouks ls cdk;k	dqy	fVIi.kh
	₹5762265	₹5925455	11687720	अंकेक्षण अवधि के दौरान सरकारी विभागों से राषि ₹5120459 की वसूली की गई है।

¼[k½ x`gdj esa vfu;fer ;i ls fj;k;r nus ds ifj.kkeLo:i uxj ifj"kn dks ₹780033@&dh gkfu¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया क नगर परिषद ने अपने गृहकरदाताओं को अनियमित रूप से गृहकर की बकाया राषि पर रियायत दे कर ₹780033/–की कम वसूली की। गृहकरदाताओं द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की बकाया राषि नगर परिषद के पास जमा करवाई जिस पर ₹780033/–की छूट करदाताओं को 10% की दर पर दी गई।

नियमानुसार गृहकर छूट केवल उन्ही करदाताओं को दी जानी थी जिन्होनें बिल का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया हो। इन मामलों में बकाया राषि पर किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। फिर भी नगर परिषद ने इस नियम की अवहेलना कर दाताओं को पुराने 2–3 वर्षों की बकाया राषियो पर भी अनियमित छूट प्रदान कर दी जिस कारण नगर परिषद को राषि ₹780033 की हानि हुई।

अतः अनियमित रूप से दी गई इस छूट को उचित ठहराया जाये अन्यथा सम्पूर्ण राषि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये विस्तार से विवरण नीचे दिया गया है।

2010&2011

Sr.No.	**Name**	**Page**	**A No.**	**Demand**	**Collection 2010&2011**		**Total Tax**
1	Town and Country Planing	30	274	648	832.00	2009–2010	216
2	Hotel Bhagsa	37	1	186400	80784.00	2009–2010	105516
3	Santosh Kumar	44	37 A	6901	4600.00	2009–2010	2301
4	Virender Singh	57	300	10238	6826.00	2009–2010	3412
5	Jagdev Singh Rama	62	334	45985	44052.00	2003–2010	1933
6	Deep Chand	76	28	1855	1237.00	2009–2010	618
7	BR Thakur	76	29	4406	1922.00	2009–2010	2484
8	Mirdu La Malhotra	76	29	3677	1660.00	2009–2010	2017
9	OS Koshal	77	48	1426	950.00	2009–2010	476
10	SK Sharma	79	63	3370	1330.00	2009–2010	2040
11	Sctpal Sharma	81	87	1166	500.00	2009–2010	666
12	Manju Rana	83	15	2268	1512.00	2009–2010	756
13	Shiv Darshan	96	47	146	100.00	2009–2010	46
14	Sushila Devi	96	50	5573	3715.00	2009–2010	1858
15	Leela Devi	101	100	6998	4666.00	2009–2010	2332
16	Kalash Chander	101	106	2010	11340.00	2009–2010	670

17	Shanti Devi	112	5	2268	1512.00	2009—2010	756
18	Kamarjit Singh	113	18	5565	1835.00	2009—2010	3730
							131827
19	Anil Kumar	118	60	15946	10495	2009—2010	5451
20	Sunil Kumar	118	—	2916	1945	2009—2010	971
21	Sohan Lal	119	67	19209	2290	1977 to 2010	16919
22	Sukhman Dass	120	73	7776	5185	2000—2009	2591
23	Inderjit Singh	120	76	5444	2772	2008—2009 2009—2010	2672
24	Bhagat Ram	122	94	5378	2655	2007—2008 2008—2009	2723
25	Balwinder Singh	124	101	14699	9600		4799
26	Gulshan Lal	124	106	2755	1836		919
27	Aruna Sood	125	112	7653	436	2008—2009 2009—2010	217
28	Om Prakash	128	133	7731	5155	2009—2010	2576
29	Satish Kumar	129	134	195	130	2009—2010	65
30	Daljit Singh	131	154	421	281	2009—2010	140
31	Gravo Devi	138	211	907	605	2009—2010	302
32	Vijay Kr	139	221	2462	346	2009—2010	2116
33	Harbans Raj	140	222	1037	691	2009—2010	346
34	Ashok Kumar	145	263	10370	6912	2008—2009 2009—2010	3458
35	Kamla Devi	145	—	2530	1684	2008—2009 2009—2010	846

36	Tilak singh	152	316	3110	650	2008—2009 2009—2010	2460 49571
37	Rajinder singh	152	317	1296	130	2008—2009 2009—2010	1166
38	Madan Gopal	154	338 A	10756	7172	2008—2009 2009—2010	3584
39	Naresh Aqqrawal	154	338 B	10786	7124	2008—2009	3662
40	SK Aqqrawal	154		21510	14340	2008—2009 2009—2010	7170
41	Sat Dev	155	344	985	660	1981—1982	3250
42	Subash Chand	155	348	3110	2075	2009—2010	1035
43	Kalpana Dogra	156	350	48923	23095	2006—2007 2007—2008 2008—2009 2009—2010	25828
44	Isha Singh	156	—	—	—		
45	Ishwar Singh	156	357	6091	1405	2008—2009 2009—2010	4686
46	Amrit Kour	157	358	29540	16143	2008—2009 2009—2010	13397
47	Sushila Devi	157	364	16460	9230	2008—2009 2009—2010	7230
48	Asha Rani	160	391	972	310	2008—2009 2009—2010	662
49	AC Guleria	162	407	2075	970	2008—2009 2009—2010	1105

50	Surinder Singh Kapoor	164	428	14853	14040	2001 to 2010	813
51	Sukunrla Devi	165	4334	4277	1815	2001 to 2010	2462
	Vol-II						
52	Trilok Chand Sood	02	489	2722	1815	2001 to 2010	907
53	BL Verma	10	553	2916	1727	2008—2009 2009—2010	1189
54	Raj Bala	10		2042	1701	2008—2009 2009—2010	341
55	Milap & Chand	12	569	41073	10000	CC 2008—209	31073
							106635
56	Nado N. Jnju	26	125	19440	12960	2009—2010	6480
57	KN Awasthi	33	178	3467	410	2009—2010	3357
58	Shukentla Devi	39	234	1070	715	2009—2010	355
59	Dai Devi	45	293	3630	155	2007—2008 2008—2009 2010—	3475
60	Hira Lal	46	294	6480	4320	2009—2010	2160
61	Surinder Kr	47	306	5832	1995	2008—2009 2009—2010	3837
62	Nirmrta Devi	50	327	28593	19062	2008—2009 2009—2010	9531
63	Lok Bdr.	54	25	1620	1080	2008—2009 2009—2010	540
64	Ravinder	57	54	518	346	2008—2009	172

	singh					2009—2010	
65	Urmila Devi	58	59	16329	9205	2007—2008	7124
						2008—2009	
						2009—2010	
66	Urmila Devi	58	60	34311	20412	2007—2008	13899
						2008—2009	
						2009—2010	
67	Satish Kr.	59	62	3630	2120	2009—2010	1510
68	Den Kr.	63	29	58292	31946	2005—2010	26346
69	Savatri Devi	64	39	38273	25515	2009—2010	12758
70	Subash Mehra	64	40	3445	2297	2009—2010	1148
71	Prithi Raj	65	65	175870	146557	2008—2009	29313
72	Jai Ram	66	—	23005	15336	2009—2010	7669
73	Rallan Chand	68	—	58320	38880	2007—2010	19440
							149114
74	Hotel Him Queen	73	107	797327	769022	2005—2010	28305
75	Inder Vesh	74	112	38274	35942		2372
76	Tajinder Singh	79	—	25920	12961	2008—2009	12959
						2009—2010	
77	Virender Prarad	81	166	19635	13090		6545
78	Kishan Chand	91	240	214878	43550	1985—1998	171328
						2000—2001	
						2003—2010	
79	Bizara	93	250	643848	30565	2009—2010	13283
80	Yudhaje Lal	133	340	9720	6480	2009—2010	3240
81	Kishors Loa	136	—	32162	21442	2008—2009	10720

82	Ram Prakosh Sharma	137	–	132883	88590	2009–2010	44293
83	Vijay Kanta	137	–	72900	48600	2009–2010	24300
84	Spring Valley Hotel	138	–	68299	45535	2009–2010	22764
85	Kuljit singh	139	–	6869	4580	2009–2010	2289
86	Chaman Lal	143	–	1460	972	2009–2010	488
							342886
						G.Total	780033

12 fdjk;nkjk ls fdjk;k olyh ckjs %&

अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा किराया निर्धारण अनुबन्ध व वसूली में गम्भीर अनियमितता की जा रही है। अंकेक्षण में पाया कि किरायेदारो से किराया वसूली वर्ष दर बढ़ रही है, जिससे नगर परिषद की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2010–11 व 2011–12 में बकाया किराया वसूली निम्नलिखित है।

o"kZ	dqy ekax	dqy olwyh	cdk;k
2010–11	5782244	4238765	1543479
2011–12	4839381	3664122	1175259

¼d½ foyEc 'kqYd dk dksbZ izko/kku u gksuk%&

जांच मे पाया गया कि किराया जमा करना या न करना पूर्ण रूप से किरायेदारो पर छोड़ दिया गया है। देरी से किराया जमा करने वाले किरायेदारों पर किसी भी प्रकार का विलम्ब षुल्क का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि विलम्ब षुल्क का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि विलम्ब षुल्क का प्रावधान किया गया तो किरायेदार विलम्ब षुल्क समय पर किराया जमा करते। अतः विलम्ब षुल्क न लगाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

¼[k½ fdjk;k fu/kkZj.k dh fy;s iz;kl u djus ckjs%&

जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा किराया निर्धारण के लिये कोई विषेष प्रयास नहीं किये गये है। अधिकतम किरायेदार पूर्व निर्धारित किराया ही जमा करवा रहे है। नगर परिषद में लगभग 275 किरायेदार है यदि समय समय पर किराया निर्धारण किया होता तो

नगर परिषद की आय में लाखों ₹ की वृद्धि होनी निष्चित थी। अतः समय समय पर किराया निर्धारण न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इस नियमानुसार सही ठहराया जाये।

mnkgj.kkFk%&

नगर परिषद के कुछ किरायेदारो ंका विवरण निम्नलिखित हैः–

Ø0 l0	uke	fdjk;k	fdjk;k
1	श्री अषोक कुमार	दुकान	400 / –प्रतिमास
2	श्रीमती विनोद कुमारी	दुकान	205 / –प्रतिमास
3	श्री सुखचेन सिंह	दुकान	493 / –प्रतिमास
4	श्री सतपाल	दुकान	135 / –प्रतिमास
5	श्री हसराज	दुकान	10 / –प्रतिमास
6	श्री अनिल कुमार	दुकान	205 / –प्रतिमास
7	श्री प्रकाष चन्द	दुकान	75 / –प्रतिमास
8	श्री बाल कृष्ण	दुकान	293 / –प्रतिमास
9	श्री राजेन्द्र पाल	दुकान	400 / –प्रतिमास
10	श्री सुरेष पाल	दुकान	15 / –प्रतिमास
11	श्री ष्याम सुन्दर	दुकान	135 / –प्रतिमास
12	श्री राज कुमार	दुकान	433 / –प्रतिमास
13	श्री कमल देव	दुकान	200 / –प्रतिमास
14	श्री अन्नत राम	दुकान	495 / –प्रतिमास
15	श्री नरेन्द्र पूरी	दुकान	310 / –प्रतिमास
16	श्री रतन लाल	दुकान	40 / –प्रतिमास
17	श्रीमति कुमारी अनू	दुकान	275 / –प्रतिमास
18	श्रीमती गायत्री	दुकान	132 / –प्रतिमास
19	श्री सुरेन्द्र कुमार	दुकान	255 / –प्रतिमास
20	श्री निरमल सिंह	दुकान	220 / –प्रतिमास
21	श्री लोवजंग	दुकान	476 / –प्रतिमास
22	श्री अषोक कुमार	दुकान	293 / –प्रतिमास
23	श्री सतीष कुमार	दुकान	264 / –प्रतिमास
24	श्री कृष्णा महादेव	दुकान	367 / –प्रतिमास

25	श्री सतपाल	दुकान	220 / –प्रतिमास
26	श्री राम कृष्ण	दुकान	220 / –प्रतिमास

¼x½ Hkw fdjk;k fu/kkj.k u djus ckjs&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर परिषद की भूमि बहुत से किरायेदार काबिज है। जिनसे नगर परषिद मानमात्र किराया वसूल रही है। कुछ से किराया मासिक की बजाय सालाना लिया जा रहा है। कुछ किराया तो ₹4 / – और 87 पैसों तक सीमित हो कर रह गया है। इतना कम किराया होने के बावजूद भी किरायेदार किराये को नगर परिषद निधि मे जमा नहीं कर रहे है। अतः यह जांच का विषय है कि आज तक इनका किरायेदारों का किराया क्यों नहीं बढ़ाया गया और बकाया राषि को क्यों नहीं वसूला गया निम्नलिखित विवरण में दिये गये किरायेदारों के किराये की पुनः गणना करके सभी किरायेदारों के किराये में नियमानुसार वार्षिक वृद्धि करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

उदाहरणार्थः–

नगर परिषद के कुछ भू किरायेदारों के नाम व उन से प्राप्त होने वाला किराया निम्न विवरणानुसार है।

Ø0 l0	uke	dc ls	lEifr	fdjk;k	cdk;k
1	श्री रिंकू राम	1966	भू सम्पति	12.50 वार्षिक	162
2	जगरनाथ	1971	भू सम्पति	4.87 वार्षिक	49
3	ईष्वर सिंह	1971	भू सम्पति	6.00	78
4	रानू राजेन्द्र	1971	भू सम्पति	6.00	84
5	वासूदेव			30.00	–
6	रोशनलाल	1999	भू सम्पति	100	–
7	वीर चन्द	1999	भू सम्पति	175	–
8	मोती राम	1966	भू सम्पति	15.00PM	–
9	ईष्वर सिंह	1968	भू सम्पति	20.00 PM	–
10	श्रीमती ओमबती		भू सम्पति	345	–
11	श्री अमर सिंह		भू सम्पति	20.00 PM	3660
12	श्री ओम विलास		भू सम्पति	5 / – PM	780
13	श्री षिव दर्षन	1969	भू सम्पति		

14	श्री ब्रिजमोहन		भू सम्पति	100	400
15	श्री अमित कुमार	1999	भू सम्पति	147	455
16	श्री हस राज डोगरा		भू सम्पति	10.00 PM	960
17	श्री बलवंत सिंह		भू सम्पति	5/–	840
18	श्री हरीष कपूर		भू सम्पति	25/–	
19	श्री खरेती लाल		भू सम्पति	5/–	
20	श्रीमती राजकुमारी		भू सम्पति	5/–	300
21	सरदार करतार		भू सम्पति	5/–	770
22	दूलो राम		भू सम्पति	5/–	480
23	महाजन कृष्णा		भू सम्पति	10/–	1560
24	श्रीमती वीर दुली		भू सम्पति	10/–	600
25	श्री सरदार		भू सम्पति	5/–	840
26	श्री राम नाथ		भू सम्पति	5/–	840
27	श्री प्रकाष चन्द	1999	भू सम्पति	5/–	
28	श्रीमती नरायणा देवी	1971	भू सम्पति	5/–	780

¼?k½ vf/kdre fdjk;nkjk d lkFk vuqcU/k u djuk&

जांच में पाया गया कि नगर परिषद के अधिकतम किरायेदार बिना किसी अनुबन्ध (Agrement) से ही नगर परिषद की सम्पति दुकान, जमीन, मकान आदि का इस्तमाल कर रहे है। नियमानुसार प्रत्येंक किरायेदार के साथ नियमानुसार अनुबन्ध किया जाना चाहिये निम्न किरायेदारों के साथ अनुबन्ध न करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये।

1 श्री रीकू राम
2 श्री जगरनाथ
3 श्री ईष्वर
4 श्री राना राजेन्द्र
5 श्री वासूदेव
6 श्री रोषन लाल
7 श्री वीर चन्द
8 श्री मोति राम

9	सुरेंन्द्र
10	श्रीमती ओम बती
11	श्री अमर सिंह
12	श्री ओम विलास
13	श्री षिव
14	ब्रीज मोहन
15	श्री प्यारे लाल
16	श्री अषोक कुमार
17	श्री सुरेष कुमार
18	श्री कमल देव
19	श्री अक्त राम
20	श्री नरेन्द्र
21	श्री रतन लाल
22	श्रीमती नरायणा
23	श्रीमती गायत्री देवी आदि

13 fuek.k dk;l %&

¼d½ V.Mj ukfVl dk 0;kid izpkj u fd;k tkuk%&

अभिलेख की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद द्वारा करोड़ों रूपयों के निर्माण कार्य विभिन्न ठेकेदारों सें करवाये गये है परन्तु इन कार्यो के टैण्डर नोंटिस का नियमानुसार कभी भी व्यापक प्रचार नहीं किया गया है। अंकेक्षण अवधि मे ंकेवल एक टैण्डर नोटिस तीन निर्माण कार्य कुल ₹3.06 करोड़ के विज्ञापित किये गये को केवल एक समाचार पत्र दैनिक ट्रिवियून में विज्ञापित किया गया तथा षेष सभी कार्य के टैण्डर नोटिस केवल कार्यालय नोटिस बोर्ड पर लगा कर ही विज्ञापित किये गये जबकि इस सन्दर्भ में प्रदेष सरकार द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए गये है।

Ø0l0	fuek.k dk;l dh vuqekfur ykxr	lekpkj i= ftu esa foKkfir fd;k tkuk pkfg,
1	5000	टैण्डर नोटिस

2	5000 से 2000000 तक	गिरीराज
3	2000001 से 10000000 तक	गिरीराज तथा एक स्थानीय समाचार पत्र
4	10000001 से अधिक	गिरीराज, एक राष्ट्रीय समाचार व एक स्थानीय समाचार पत्र

व्यापक प्रचार न होने के कारण निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों में व्यापक प्रसार व प्रतिस्पर्धा भी नहीं हुई है और व्यापक प्रतिस्पर्धा के बिना कार्यो के आबंटन में ठेकेदारों को उच्च दरो पर कार्य का आंबटन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः व्यापक प्रचार किये बिना कार्य के आबंटन को नियमानुसार उचित ठहराया जाये तथा यह सुनिष्चित किया जाये कि किए गये कार्य आबंटन में किसी भी ठेकेदार को उच्च दरों पर कार्य आबंटित नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये व भविष्य में प्रत्येक टैण्डर नोटिस का नियमानुसार व्यापक प्रचार किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

¼[k½ V.Mj dk;l dh fcØh o V.Mj [kkyu dh frfFk e fu;eku|lkj le; dk u fn;k tkuk&

जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा टैण्डर फार्म की बिक्री व टैण्डर खोलने के समय में केवल एक दिन का समय दिया जाता है, जबकि नियमानुसार टैण्डर फार्म की बिक्री टेण्डर फार्म खोलने की तिथि से 4 दिन पूर्व ही बंद हो जाने चाहिए (सी0पी0डब्लयू डी वर्क रूल 17.14) अतः नियमों की अनुपालना न कर टेण्डर फार्म की बिक्री व खोलने को उचित ठहराया जाये तथा भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिष्चित की जाये।

¼x½ foHkkxh; U;k;kfprrk cuk, fcuk dk;l dk vkcVu fd;k tkuk&

अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न ठेकेदारों से करोड़ों रूपये के जो निर्माण कार्य करवाऐ जा रहे है उनमें किसी भी कार्य की विभागीय न्यायोचितता तैयार नहीं की गई है। उदाहरणतः ₹27788367/—का मकलोड़गंज में पार्किंग का निर्माण कार्य तथा ₹8059888/—का धर्मषाला में पार्किंग का निर्माण कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य अध्याधिक राषियों के कार्य करवाने के लिए भी विभागीय न्यायोचितता नहीं तैयार की गई। नगर परिषद अभियन्ता द्वारा प्रत्येंक टैण्डर खोलने उपरान्त ठेकेदार को नेगोषेषन हेतु बुलाया जाता है तथा नेगोसियेषन उपरान्त कार्य आंबटन हेतु अनुमोदित कर दिया जाता है परन्तु विभागीय न्यायोचितता तैयार किए बिना ठेकेदार से नेगोसियेषन किस आधार पर की गई तथा

उन्हें कार्य का आंबटन किस आधार पर किया गया के बारे में कोई अभिलेख अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभागीय न्यायोचितता बनाऐ बिना कार्य का आंबटन करना अनियमित है जिसमें ठेकेदारों को किए जा रहे अधिक भुगतान को नहीं नकारा जा सकता है। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत ही ठेकेदारों नगर परिषद में एक ही समय पर विभिन्न ठेकेदारों को एक ही प्रकार के निर्माझा कार्य विभिन्न दरों पर आबंटित कर दिए गये।

¼i½ उदाहरणतः दिनांक 12.6.208 को आंबटित कार पार्किंग निर्माण कार्य धर्मषाला कोतवाली बाजार में पार्किंग निर्माण कार्य एच0पी0एस0आर0 1999 से 42.82% पर आंबटित किया गया जबकि धर्मषाला से 8 कि0मी0 दूर मलोड़गंज मे पार्किंग निर्माण कार्य 40.34% ऊपर आंबटित किया गया।

¼ii½ इसी प्रकार दिनांक 15.11.2010 को वार्ड नं0 9 की गली में आंबटित टाईल बिछाने का कार्य 90.18% ऊपर आबटिंत किया गया जबकि 5 महीने पहले आंबटित वार्ड नं0 7 टाईल बिछाने का कार्य 99.58% ऊपर आंबटित किया गया।

¼iii½ इसी प्रकार एक ही दिन दिनांक 15.11.2010 को एक ही ठेकेदार को एक ही स्थान पर एक तरह के दो कार्य, पहला बी0एड0ए कालेज के पास टाईप III क्वार्टर नं0 21 की मुरम्मत कार्य एच0पी0एस0आर0 1999 से 71.63% ऊपर आंबटित किया गया जबकि क्वार्टर नं0 15 की मुरम्मत कार्य एच0पी0एस0आर0 1999 से 25.56% ऊपर आबंटित किया गया।

अतः विभागीय न्यायोचितता न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा विभागीय न्यायोचितता बनाऐ बिना की गई नेगोसियेषन व कार्य आबंटन को नियमानुसार उचित ठहराया जाये तथा उच्च स्तरीय जांच उपरान्त पूर्व में किए गये आंबटन व भुगतानों को उचित ठहराया जाए व किसी प्रकार के अधिक भुगतान की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाते हुऐ अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाऐ तथा भविष्य में नियमानुसार विभागीय न्यायोचितता बनाने उपरान्त ही नेगोसियेषन करके कार्य का आंबटन सुनिष्चित किया जाये।

¼?k½ fofHkUu fuekZ.k dk;ksZ ij l{ke vf/kdkjh }kjk fu;ekuqlkj **Test Check** u fd;k tkuk%&

अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा जितने भी निर्माण कार्य करवाये गये है उसमें सक्षम अधिकारी अर्थात निगम अभियन्ता/सहायक अधिषाषी अभियन्ता द्वारा Test Check नहीं किया गया है। सी0पी0डब्लयूडी0 वर्क मैनुअल के नियम 7.29 के अनुसार किसी भी कार्य का बिल पास करने से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में

इन्द्राज गणना का 50% सहायक अधिषाषी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक किया जाना अपेक्षित है इसी प्रकार स्टील तथा Hidden Nem का 100% टैस्ट चैक अनिवार्य है। परन्तु नगर परिष में कार्यरत्त सहायक अधिषाषी अभियन्ता/निगम अभियन्ता द्वारा लगभग सभी कार्यो में नियमानुसार टेस्ट चैक नहीं किया गया है। व ठेकेदारों के बिलों को भुगतान हेतु अनुमोदित कर दिया है।

सहायक अधिषाषी अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक न करना कार्य की मात्रा व गुणवक्ता पर प्रष्न चिन्ह लगता है। अतः टैस्ट चैक न करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि किस प्रकार सुनिष्चित किया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इन्द्राज कार्य की मात्रा वास्तव में निष्पादित की गई है व दर्षाई गई स्टील वास्तव मे ंप्रयोग में लाई गई है की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जोय। उदाहरण के रूप में अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न निर्माण कार्यो के भुगतान में निगम अभियन्ता द्वारा किए गए टैस्ट चैक की स्थिति निम्नलिखित हैः–

Ø0 l0	ok0 l0@ek g	dk;l dk uke	eki iqfLrdk l0 i0 l0	fcy dh jkf'k	dk;l dh jkf'k ftldk VsLV pSd fd;k x;k	fu;ekuqlkj okfUNr VsLV pSd dh jkf'k	dk;l dh ek=k@jkf'k ftlls VsLV pSd de fd;k x;k
1	2 माह 5/2010	वार्ड नं0 11 में ओंकार भारती के घर से कुलदीप मैहरा के घर तक रास्ते का पक्का करना	46 पृ0 76	111953	13505	55976	42471
2	3 माह 5/2010	वार्ड नं0 10 में श्री उत्तम कुमार के घर के पास गली का पक्का करना	46 पृ0 77 व 78	76329	12276	38165	25889
3	4 माह 5/2010	वार्ड नं0 2 में ओमनी होटल से रिषि भवन तक रास्ते का निर्माण	56 पृ0 55 से 58	100000	21070	50000	28930
4	9 माह	वार्ड नं0 3 में कर्मू	57 पृ0 90 92	158889	षून्य	79445	79445

	5/2010	रोड से हितू गॉव की तरफ रास्ते का का निर्माण	तक				
5	11 माह 5/2010	वार्ड नं0 9 में चुनी लाल के घर के पास रास्ते का निर्माण	45 पृ0 79 से 80	94876	16492	47438	30946
6	13 माह 5/2010	वार्ड नं0 8 में हाउसिंग बोर्ड आफिस से कुनाल पथरी रोड की तरफ रास्ते का निर्माण	48 पृ0 56 से 58	231317	29579	115659	86079
7	15 माह 5/2010	वार्ड नं0 7 में मानसरोर होटल के पास गली में टाईल बिछाना	46 पृ0 81 से 82	159811	—	79901	79901
8	16 माह 5/2010	वाड्र नं0 7 में पोस्ट आफिस कलौनी में टाईले बिछाना	46 पृ0 78 से 81	145229	—	72615	72615
9	4 माह 5/2010	वार्ड नं0 5 में मुख्य रास्ते से अग्मिहोत्री हाऊस की तरफ टाईल लगाना	62 पृ0 34 से 35	135840	—	67920	671920
10	31 माह 5/2010 म्युनिसिपिल फण्ड	पुराना चडीरो में षौचालय का निर्माण	48 पृ0 53 से 56	92597	—	46299	46299

¼3½ foHkkxh; LŸkj ij lheUV ij lheUV tkjh u djus dk dkj.k uxj ifj"kn dks yxHkx ₹33 yk[k dk gkfu½&

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में विभिन्न ठेकेदारो ंसे जितने भी निर्माण कार्य करवाये गये है उनमें केवल डाक कार्य अर्थात मकलोड़गंज मे ंपार्किंग का निर्माण व कौतवाली बाजार में पार्किंग का निर्माण कार्य को छोंड़ कर सभी कार्यो पर ठेकेदारों द्वारा अपने स्तर पर सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग किया गया है जबकि नियमानुसार कार्यो मे ंप्रयोग हेतु सीमेन्ट निभागीय रूप में जारी किया जाना आपेक्षित था क्योंकि विभाग द्वारा जो सीमेन्ट खरीदा जाता है व प्रयोग में लाया जाता है इसकी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणवता होती है तथा खरीद भी दर संविदा की निर्धारित दरों पर की जाती है जो नगर परिषद द्वारा पार्किंग कार्यो हेतु सीमेन्ट की खरीद की गई वह केवल ₹197/–प्रति बैग की दर पर की गई जबकि इसी अवधि में सीमेन्ट का बाजार मूलय लगभग ₹300/–प्रति बैग था।

इस सन्दर्भ में यह वान्छित किया जाता है कि यदि ठेकेदार द्वारा कार्य पर सीमेन्ट बाजार से उच्च दरों पर खरीद कर प्रयोग में लाया जाऐगा तो स्वाभिक है कि उसके द्वारा उसस कार्य की दरें भी तदानुसार निविदाओं में अधिक दरें भरी जाएगी और वह भी अपना लाभ सम्मिलित कर क्योंकि नियमानुसार ठेकेदार द्वारा जो भी समाान कार्यो में प्रयोग लाया है। उस पर उसे 10% लाभ नियमानुसार देय है इस प्रकार विभिन्न कार्यो पर ठेकेदारों द्वारा जो सीमेन्ट प्रयोग में लाया गया अंकेक्षण अवधि वर्ष 2010–2011 व 2011–12 में उसका मूल्य ₹260/–प्रति बैग की दर से लेकर ₹320/–प्रति बैग था जो औसतन ₹290/–प्रति बैग बैठता है जिस पर ठेकेदार द्वारा नियमानुसार देय 10% लाभांष ₹29/–प्रति बैग जोड़ कर कुल ₹319/–प्रति बैग सीमेन्ट मूल्य लगा कर कार्य की दरें ली गई जबकि अगर सही सीमेन्ट अगर विभागीय स्तर पर जारी किया जाता तो कार्य पर सीमेन्ट निगम खरीद मूल्य ₹197/– प्रति बैग+3% स्टोरेज चार्जिज अर्थात ₹6/– पै0 कुल 203/पै0 प्रति बैग की दर पर प्रयोग होता इस प्रकार विभागीय स्तर पर सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग न लाने के कारण परिषद द्वारा प्रत्येक कार्य में एक सीमेन्ट के बैग पर लगभग ₹116/–अधिक व्यय किए गये। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दो वर्षों में ठेकेदारों द्वारा जो निर्माण कार्य किए गये उस पर नियमानुसार 29030 बैग सीमेन्ट खपत अपेक्षित है इस प्रकार नगर परिषद द्वारा दो वर्षो में 29030 बैग पर ₹116/–प्रति बैग की दर से ₹3367480/–अधिक व्यय किये गये अर्थात दो वर्षों के निर्माण कार्यो में लगभग ₹33 लाख

की हानि हुई। जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाये। अन्यथा उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼2½ ठेकेदारों को विभागीय स्तर पर सीमेन्ट जारी न करने का नगर परिषद द्वारा यह कारण दिया गया कि नगर परिषद के पास स्टोर नहीं है और जो स्टोर था वह दिनांक 1.8.2006 से किराए पर दे दिया गया है जिस पर दिनांक 31.3.2012 तक राषि ₹28320/–किराया वसूला गया है जबकि हानि ₹33 लाख की हुई। उपरोक्त स्पष्टीकरण परस्पर विरोधी है क्योंकि इसी अवधि में नगर परिषद द्वारा करोड़ों रूप्ये के दो कार पार्किंग बनाए जा रहे है तथा जिन्हें विभागीय सीमेन्ट जारी किया जा रहा है उन्हें हजारों बोरी सीमेन्ट विभागीय स्टोर में लेकर जारी की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर परषिद में ठेकेदारों द्वारा जो अपने स्तर पर सीमेन्ट प्रयोग में लाया जा रहा है उस पर भी प्रयन चिन्ह लगता है क्योंकि कार पार्किंग के दो कार्य, एक कौतवाली बाजार से दूसरा मकलोड़गंज में इन दोनों कार्यो पर ₹190/–प्रति बैग की दर पर विभागीय सीमेन्ट जारी किया जा रहा था परन्तु कोतवाली बाजार की पार्किंग के ठेकेदार ने 5200 बैग विभागीय सीमेन्ट उपरान्त कार्य पर 1600 बैग अपने स्तर पर बाजार से खरीद कर प्रयोग किया दर्षाया गया इसी प्रकार मकलोड़गंज पार्किंग के निर्माण कार्य पर ठेकेदार द्वारा 7205 बैग विभागीय सीमेन्ट प्रयोग में लाकर 2525 बैग बाजार से खरीद कर प्रयोग में लाया गया दर्षाया है। क्यों कोई ठेकेदार ₹190 प्रतिबैग की जगह ₹300/–प्रतिबैग का सीमेन्ट खरीदकर प्रयोग में लायेगा व लाखों रूपयों की हानि उठायेगा। अतः ठेकेदारों द्वारा सीमेन्ट का प्रयोग अपने आप क्रय कर एक संदेहास्पद प्रक्रिया प्रतीत होती है जो करोड़ों के कार्य करवाए गये है, उनकी गुणवता पर भी प्रष्न चिन्ह लगाती है। अतः इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये तथा की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाये।

सीपी डब्लू डी वर्क रूल 26.1 के अनुसार केवल 5 करोड़ से अधिक के कार्यों पर अगल विभाग चाहे तो ठेकेदार को अपने स्तर पर मैटिरियल की व्यवस्था करने हेतु कह सकता है तथा ठेकेदार द्वारा 33 Grade (confirming to is 269) or 43 Grade (confirming to is 8112) सीमेन्ट की खरीद reputed Manujacturer से की जानी अपेक्षित है।

परन्तु नगर परिषद द्वारा न ही टेण्डरों में ठेकेदारों द्वारा लगाये जाने वाले सीमेन्ट की ग्रेड (Grade) से सम्बन्धित कोई षर्त लगाई है और न ही प्रयोग किये गये सीमेन्ट की गुणवता के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों द्वारा खरीदे गये सीमेन्ट से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यो पर दैनिक

सीमेन्ट के आगमन और प्रयोग से सम्बन्धित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जिससे ठेकेदारों द्वारा प्रयोग किये गये सीमेन्ट व कार्य की गुणवता पर प्रष्न चिन्ह लग जाता है। अतः उपरोक्त मामले की उच्च्च स्तरीय जांच करवाई जाये तथा निर्माण कार्यों पर प्रयोग किये गये सीमेन्ट को नियमानुसार उचित ठहराया जाये।

¼p½ uxj ifj"kn }kjk xh"ekRlo /keZ'kkyk d fy, ₹5 yk[k dk vfu;fer :i l Hkxrku djuk&

जिलाधीष कांगड़ा स्थित धर्मषाला द्वारा अपने पत्र संख्या 873/डी0एल0 दिनांक 5.4.2010 द्वारा प्रधान नगर परिषद से दिनांक 4.6.2010 से 6.6.2010 तक धर्मषाला में सम्पन्न होने जा रहे ग्रीष्मोत्सव के लिए राषि ₹5 लाख का अनुदान देने का आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 728 दिनांक 15.5.2010 द्वारा सर्व सम्पत्ति से यह निर्णय लिया गया कि ग्रीष्मोत्सव हेतु डिपोजिट फण्ड से ₹500000/–दे दिए जाए।

डिपाजिट फण्ड अर्थात अनुदान राषियों से सम्बन्धित फण्ड से भुगतान/अनुदान देना एक गम्भीर अनियमितता है और प्राप्त अनुदानों की षर्तों का उल्लघन है क्योंकि डिपाजिट फण्ड में जितनी भी अनुदान राषियॉ जमा करवाई गई है वह सभी किसी विषेष कार्य हेतु प्राप्त हुई है तथा अनुदान की षर्त के अनुसार इन राषियों का प्रयोग केवल उसी कार्य पर किया जा सकता है जिस कार्य हेतु यी राषियॉ प्राप्त हुई है।

अतः अनुदान राषि का प्रयोग उस कार्य पर न करना, जिस कार्य हेतु अनुदान राषि प्राप्त हुई है उस राषि का दुरूपयोग है। अतः इसे नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा अनुदान देने वाली संस्था से इस भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इसे नियमित करवाया जाऐ अन्यथा उचित स्त्रोत से राषि की प्रतिपूर्ति कर परिषद खाते में जमा करवाई जाये व अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼N½ ₹12 yk[k dk vufpr Hkqxrku&

वाऊचर संख्या 14 माह 5/2010 के अन्तर्गत अनुदान राषि फण्ड से ₹6 लाख श्री संजय सोनी ठेकेदार जिनके द्वारा मकलोड़गंज में पार्किंग निर्माण का कार्य किया जा रहा है, को अग्रधन के रूप में भुगतान किये गये। इस अग्रधन भुगतान हेतु श्री संजय सोनी ने अपने पत्र संख्या षून्य दिनांक षून्य द्वारा नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी से प्रार्थना की कि उसे कार्य हेतु षटरिंग लानी है तथा मेरे द्वारा ₹8 लाख का कार्य कर दियाग या है। अतः ₹6 लाख का अग्रधन प्रदान किया जाये। इस पत्र पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा यह लिखा गया कि किसी भी नियमों न ही मयुनिसिपल एक्ट, बायलाज वर्क कोर्ड में इस प्रकार के

भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु साथ ही साथ कार्य की प्रगति हेतु इसका अनुमोदन भी कर दिया गया। इस प्रकार इस तथ्य को ज्ञान होते हुये भी कि नियमों में इस प्रकार का का केई भुगतान नहीं किया जा सकता है, नगर परिषद के सभी उच्च अधिकारियों द्वारा सहायक अधिषाषी अभियन्ता, लेखाकार व कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस भुगतान का अनुमोदन कर, भुगतान कर दिया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को इस आधार पर भुगतान का अनुमोदन किया जाना कि कार्य की प्रगति हेतु भुगतान आवष्यक है भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह मामला निदेषक, षहरी निकाय हिमाचल प्रदेष सरकार, सचिव षहरी विकास हिमाचल प्रदेष व अन्य उच्च अधिकारियों के विषेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके व इस प्रकार के भुगतानों की पुर्नवृति पर रोक लगाई जा सके। ठेकेदार को गलत भुगतान करने के कारण परिषद को अर्जित होने वाले ब्याज की जो हानि हुई उसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जाए साथ यह भी स्पष्ट किया जाये कि अगर ठेकेदार ने ₹8 लाख का काम कर दिया था तो उसका बिल बना कर भुगतान क्यों नहीं किया गया क्योंकि नियमानुसार प्रत्येक ठेकेदार को उसके द्वारा किए गये कार्य का प्रत्येक माह चलित बिल बना कर भुगतान किया जा सकता है। की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

II वाऊचर संख्या 7 माह 3/2011 के अन्तर्गत श्री संजय सोनी को पुनः ₹6 लाख डिपाजिट फण्ड निधि से जिला परिषद भवन के समीप जिला पुस्तकालय के निर्माण कार्य से अग्रधन के रूप में प्रदान किए गये, इस अग्रधन हेतु ठेकेदार द्वारा दिनांक 7.3.2011 को कार्यकारी अधिकारी से प्रार्थना की गई जिस पर भी सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया कि ठेकेदार द्वारा लगभग ₹8 लाख का काम कर दिया गया है। अतः ₹6 लाख प्रदान कर दिए जाऐ जिसे भी निगम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और दिनांक 11.3.2011 को ठेकेदार को राषि ₹6 लाख का भुगतान कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का चलित बिल न बना कर, किये गये कार्य की गणना न कर व नियमों की अवहेलना कर किए गये इन भुगतानों को नियमानुसार उचित ठहराया जाये तथा जॉच उपरान्त व उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस प्राकर के भुगतानों पर पूर्ण रोक लगाई जाऐ व कार्य की गणना कर व उसका माप– पुस्तिका में ईन्द्राज लेकर ही नियमानुसार भुगतान का किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

¼t½ वाऊचर संख्या 1 माह 5/2010 (डिपाजिट वर्क)

कार्य का नाम कोतवाली बाजार धर्मषाला में पार्किंग व व्यवसायिक परिसर व निर्माण

ठेकेदार के नाम श्री सुरिन्द्र षर्मा

कार्य की राषि 80, 59, 880

बिल की राषि ₹60,38,706

कार्य आंबटन पत्र संख्या 1022 से 1025 दिनांक 12.6.2008

इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि इस कार्य के निष्पादन मे व किए गए भुगतान में अनेक त्रुटियां पाई गई जिनके कारण इस कार्य में अधिक भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय जांच अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये कार्य में पाई गई त्रुटियॉ निम्नलिखित हैः—

¼I½ V.Mj dh 'krsZ iwjh u djus okys Bsdsnkjksa ds V.Mj [kksyuk o dk;Z vkcafVr fd;k tkuk%&

नगर परिषद के इस कार्य हेतु टेण्डर नोटिस सें0 04569—4579 दिनांके 12.2.2008 के अनुसार इस कार्य की अनुमानित लागत ₹9000000/—थी तथा धरोहर राषि ₹180000/— थी इस कार्य हेतु 6 ठेकेदारों को टैण्डर कार्य बेचे गये तथा उनके द्वारा इस कार्य हेतु टेण्डर भरे गये जिनका टैण्डर रजिस्टर के पृष्ठ 123 पर ईन्द्राज लिया गया, जहॉ ठेकेदारों के नाम लिखने उपरान्त उनकी दरों के आगे आईटम रेट लिखा गया तथा प्रधान नगर परिषद व परिषद अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया परन्तु न तो टैण्डर रजिस्टर में न अन्य किसी जगह यह सत्यापित किया गया कि इन ठेकेदारों द्वारा अपनी धरोहर राषि किस रूप में और कब और कहॉ किसके पास जमा करवाई गई। श्री सुरेन्द्र कुमार षर्मा जिन्हें यह कार्य आंबटित किया गया उनके द्वारा भी कोई धरोहर राषि नहीं जमा करवाई गई धरोहर राषि जहां ठेकेदारों द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राषियों का अभिलेख रखा जाता है के पृष्ठ 17 पर उनके द्वारा पंजाब नैषनल बैग मकलोड़गंज की एफ0डी0सं0 448465 राषि ₹130000 दिनांक 25.4.2007 इस कार्य की धरोहर राषि के रूप में लगाई गई जबकि इस कार्य की धरोहर राषि ₹180000/—थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्णित राषि ₹130000/—की एफडी0 इस ठेकेदार

द्वारा उसे वर्ष 2007 में आबंटित इसी स्थान पर एक कार्य कटिंग वर्क व दूसरा कार्य रिटेनिंग वाल लगाने का कार्य हेतु जमा करवाई गई है।

अतः बिना धरोहर राषि के टेण्डर फार्म स्वीकृत करना, टेण्डर खोलना व कार्य भी आबंटित करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उच्च स्त्तरीय जॉच उपरान्त व किसी प्रकार की अनियमितता की अवसाि में उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼II½ vfrfjDr enks dk Hkqxrku dk vUrxZr ₹61174@& dk vf/kd Hkqxrku½&

इस कार्य में 3 मदों का अतिरिक्त मदों के रूप में भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

	en dk uke	?ku eh0	nj	Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	प्रोवाईंडिंग एण्ड लेईन्ग सीमेन्ट कंकरीट 1:4:8	135.61	1663.80	225628
2	कटिंग इन अर्थ वर्क	181.42	83.40	15138
3	ऐक्सावेषन इन अर्थ वर्क वाईडिंन्ग इन 20MM लेयर इत्यादि	730.12	81.40	44830

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विभाग द्वारा इन अतिरिक्त मदों की दरें निर्धारित करने हेतु विभाग द्वारा इन मदों की एच0पी0एस0आर 1999 की दरों पर ठेकेदार का इस कार्य का ओवर आल प्रीमियम उाल कर निर्घारण किया गया जबकि नियमानुसार इन दरों का निर्धारण ठेकेदार द्वारा अपनी दी गई दरों जो अन्य समान मदों की जो रेट दिए है उनका एच0पी0एस0आर 1999 के ऊपर प्रीमियम पर किया जाना चाहिए था इस प्रकार गलत निर्धारण के कारण प्रत्येक मद पर जो गलत/अधिक भुगतान किया गया इस का विवरण निम्नलिखित है।

¼1½ lhesUV dadjhV 1%4%8

foHkkx }kjk fd;k x;k fu/kkZj.k		fu;ekuqlkj nj dk fu/kkZj.k	
एच0पीएस0आर0 1999 के अनुसार	1181.80		1181.80
ठेकेदार का प्रीमियम 40.80 %	482.00	डी0एन0आई0टी0 के अनुसार मद संख्या 7 का प्रीमियम 21.17 % ऊपर	250.18
कुल दर प्रति घन मी0	1663.80		1431.91
अतः प्रतिघन मीटर पर किया जा रहा अधिक भुगतान			231.89
(2) कटिंग इन अर्थ वर्क			
एचपीएमआर 1999 के अनुसार पर	59.25	59.25	
ठेकेदार का प्रीमियम 40.80 %	24.17	ठेकेदार द्वारा मद संख्या 1 पर लिया गया प्रीमियम (–)30.77	18.23
कुल दर प्रति घन मी0	83.42		41.02
(3) ऐक्सावेषन इन अर्थ वर्क			
एचपीएसआर 1999 के अनुसार पर	43.60	ठेकेदार द्वारा मद संख्या 1 पर लिया गया प्रीमियम (–) 30.77	43.60
ठेकेदार का प्रीमियम 40.80 %	17.80		(–)13.42
	61.40		30.18

प्रति धन मी0 दर किया जा रहा अधिक भुगतान 31.22 (61.40–3018)

इस प्रकार इस बिल के अन्तर्गत (प्रथम चलित बिल) इन तीन अतिरिक्त मदों से ठेकेदार को कुल ₹61174 / –का अधिक भुगतान कर दिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1	सीमेन्ट कंकरीट 1:4:8	135.61 घन मी0X231.89	31446.60

2	कटिंग इन अर्थ वर्क	181.42 घन मी0X42.40	7692.20
3	ऐक्सेषन इन अर्थ वर्क	730.12 घन मी0X30.18	22035.02
	कुल अधिक भुगतान की गई राषि		61173.82

अतः इस राषि को तथा अतिंम बिल तक भुगतान की गई इन मदों के अन्तर्गत अधिक राषि की गणना कर, अविलम्ब वसूली कर परिषद खाते में जमा करवा कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼III½ xyr x.kuk d: dkj.k ₹1488@& dk vf/kd Hkqxrku½&

माप पुस्तिका संख्या 50 के पृष्ठ 26–27 पर क्रम संख्या 7 में 1:1½:3 सीमेन्ट कंकरीट पिनर इत्यादि में डालने हेतु 27.78 घन मी0 ली गई जबकि यह 27.16 घन मी0 बनती है। इस प्रकार ठेकेदार को .62 घन मी0 का राषि ₹2400/–प्रति घन मीटर की दर पर राषि ₹1488/–का अधिक भुगतान कर दिया गया। अतः इस राषि को वसूल कर व वापिस जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इस कार्य के प्रथम बिल कुल ₹6038706/–से सीमेन्ट, स्टील की कुल ₹4068596/– की कटौती उपरान्त ₹1970110/–का भुगतान किया गया जबकि ग्रांट रजिस्टर में जहॉ इस कार्य हेतु प्राप्त कुल अनुदान ₹10685700/–में से किए गये व्यय की बुकिंग की जाती है (ग्रांट रजिस्टर संख्या 6 पृष्ठ 115) पर यह राषि ₹40139/–से कम दर्षाकर ₹1929971/–की बुकिंग की गई। अतः खर्चा कम बुक करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा पूरा खर्चा बुक कर कार्य पर किये गये पूर्ण व्यय को दर्षाया जाऐ व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाऐ।

¼IV½ dk;Z dk mPp vf/kdkjh }kjk VsLV pSd u fd;k tkuk½&

सी0पी0 डब्लयू0डी0 वर्क मैनयुल के नियम 7.29 के अनुसार किसी भी कार्य का बिल पास करने से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में ईन्द्राज गणना का 50% सहायक अधिषाषी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक किया जाना अपेक्षित है इसी प्रकार RCC स्टील का तथा Hidden Item का 100% टैस्ट चैक अनिवार्य है ताकि बिल भुगतान से किए गये कार्य को उचित ठहराया जा सके परन्तु इस कार्य में नगर परिषद में कार्यरत

सहायक अधिषाषी अभियन्ता द्वारा कोई टैस्ट चैक नहीं किया गया है जबकि इस प्रथम बिल कुल ₹6038706/—में ₹3300638/— कीकुल ₹88017.03/—किलो स्टील की मद का भुगतान किया जा रहा है।

सहायक अधिषाषी अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक न करना पूर्णतया नियमों की अवहेलना है तथा ईन्द्राज कार्य की मात्रा व गुणवता पर प्रष्न चिन्ह लगाता है। अतः टैस्ट चैक न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए की किस प्रकार सुनिष्चित किया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ईन्द्राज कार्य की मात्रा वास्तव में निष्पादित की गई है व दर्षाई गई स्टील वास्तव में प्रयोग में लाई गई है की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼V½ Bsdsnkj }kjk viu LŸkj ij lheUV dh [kjhn o [kir fd;k tkuk&

अभिलेख की जॉच मे ंपाया गया कि कार्य के प्रथम बिल तक किये गये कार्य के अनुसार कुल 6883 बोरी सीमेन्ट की खपत आपेक्षित थी जिसमें से परिषद द्वारा अनुबन्ध की षर्त के अनुसार ठेकेदार को विभागीय 5200 बोरी जारी की गई।

दिनांक 9.8.2009 को ठेकेदार द्वारा परिषद अभियन्ता (Municipal Engineer) को एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि लम्बे समय से कोई सीमेन्ट नहीं दिया गया है। अतः कार्य रूका हुआ है। अतः प्रार्थना है कि बाजार से सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग में लाने की अनुमति दी जाऐ। इस प्रार्थना में लाने की अनुमति दी जाऐ। इस प्रार्थना पत्र पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा यह प्रमाण पत्र देकर ठेकेदार को बाजार से सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग में लाने की अनुमति देने हेतु कहा गया कि स्टोर से सीमेन्ट नहीं है जिसे परिषद अभियन्ता द्वारा केवल हस्ताक्षरित किया गया।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पुर्णतयः आधारहीन है क्योंकि अभिलेख की जांच में पाया गया कि ठेकेदार को विभाग द्वारा समय समय पर पूरा सीमेन्ट जारी किया जाता रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः—

ekg	tkjh dh xbZ ek=k
10/08	400 बोरी
5/09	1200 बोरी
6/09	400 बोरी
7/09	800 बोरी
8/09	400 बोरी

10/09	800 बोरी
11/09	800 बोरी
6.12.09	400 बोरी
	5200 ckjh

अतः उपरोक्त विवरण से पूर्व स्पष्ट होता है कि ठेकेदार को पूरा सीमेन्ट जारी किया जाता रहा और न ही स्टॉक में कोई कमी थी क्योंकि परिषद द्वारा अपने कार्यो हेतु मयुनिसिपल फण्ड से भी उपरोक्त अवधि में 1600 बोरी खरीद कर प्रयोग में लाए गये है दिनांक 9.8.2009 को ठेकेदार द्वारा यह कहना कि सीमेन्ट नहीं है तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भी उसे अनुमोदित करना एक संदेहास्पद प्रक्रिया है परिषद द्वारा दिनांक 6.12.2009 से 5.3.10 तक (जिस दिन इस बिल की प्रविष्टि ली गई) ठेकेदार को कोई सीमेन्ट जारी नहीं किया गया जिसका कोई कारण नजर नहीं आता है ठेकेदार को व क0 अभियन्ता को दिनांक 9.8.2009 को (4 माह पूर्व) पता चला कि परिषद द्वारा दिनांक 6.12.2009 के बाद कोई सीमेन्ट जारी नहीं किया जाऐगा। उपरोक्त के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट जो विभाग द्वारा उसे ₹190/–प्रति बोरी की दर दिया जा रहा था की जगह बाजार से लगभग ₹300/–प्रति बोरी की दर पर खरीद कर प्रयोग में लाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेख में कोई ऐसा प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट खरीदा गया व प्रयोग में लाया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ठेकेदार को गलत आधार पर बाजार से सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग में लाने हेतु कहा गया यह अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में उच्च स्त्तरीय जॉच अमल में लाई जाऐ व इस प्रक्रिया को उचित ठहराया जाऐ। किसी प्रकार की अनियमितता पर दोषी के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

¼**VI**½ माप पुस्तिका के पृष्ठ 1 के अनुसार कार्य षुरू करने की तिथि 7.4.2009 दर्षाई गई है जबकि ठेकेदार को दिनांक 20.10.2008 की 400 बोरी सीमेन्ट जारी कर दिया गया। कार्य षुरू होन से 6 माह पूर्व ही 400 बोरी सीमेन्ट जारी करने का कारण स्पष्ट किया जाऐ। क्या 6 माह में सीमेन्ट खराब नहीं हो गया था। जब कार्य षुरू ही नहीं हुआ तो जारी किया गया सीमेन्ट किस जगह भण्डार किया गया क्योंकि निमानुसार जारी किया गया सीमेन्ट के भण्डार पर ठेकेदार व विभाग का दोहरा ताला (Double Lock) लगा होना चाहिए था। उपरोक्त से ऐसा

प्रतीत होता है कि इन 400 बोरी सीमेन्ट का दुरूपयोग किया गया है। अतः जांच उपरान्त की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये।

¼VII½ कार्य आबंटन पत्र संख्या 1022 से 1025 दिनांक 12.06.2008 की षर्त संख्या 4 के अनुसार यह कार्य दो वर्ष के भीतर सभी प्रकार से पूरा हो जाना चाहिये था अन्यथा देरी के लिये ₹8000/–प्रति दर की दर से अधिकतम या ₹800000/–के दण्ड का प्रावधान था परन्तु जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा अभी तक भी इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है। अतः ठेकेदार द्वारा कार्य को समय पर पूरा न करने के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा कोई विलम्ब षुल्क नहीं लगाया है। अतः विलम्ब षुल्क न लगाये जाने का कारण स्पष्ट किये जाये व नियमानुसार कार्यवाही करके की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼>½ कार्य का नाम होटल साहिबा के पास मैकलोड़गंज में पार्किंग का निर्माण

कार्य की अनुमानित लागत 2 करोड़

कार्य आबंटन पत्र सं0 1013–19 दिनांक 12.6.2008 ₹27784367/–

ठेकेदार का नाम संजय सोनी

¼i½ vkipkfjdrk,¡ i.k fd, fcuk dk;l dk vkcVu fd;k tkuk&

उक्त कार्य हेतु केवल दो ठेकेदारों द्वारा टैण्डर भरे गये एक श्री संजय सोनी व दूसरे श्री जसवीर कौषल अभिलेख की जांच में पाया गया कि इन दोनों ठेकेदारों द्वारा टैण्डर जारी करने हेतु जो प्रार्थना पत्र पर तो कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा टैण्डर फार्म जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई परन्तु जसवीर कौषल के प्रार्थना पत्र पर किसी भी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई। अतः स्पष्ट किया जाऐ कि जब टैण्डर फार्म जारी करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई तो टैण्डर फार्मजारी किस प्रकार व किन परिस्थितियों में कर दिया गया।

¼ii½ टैण्डर खोलने के सम्बन्धित रजिस्टर की जॉंच करने पर पाया गया कि इस कार्य की धरोहर ₹400000/–श्री संजय सोनी द्वारा एफ0डी0आर0सं0 448743 दिनांक 7.2.2008 द्वारा जमा की गई दर्षाई गई जबकि संजय सोनी के एक अन्य कार्य, जिला परिषद हाल के सामने जिला पुस्तकालय के निर्माण कार्य में भी यह एफ0डी0 दर्षाई गई परन्तु इसकी तिथि 7.3.2008 दर्षाई गई। धरोहर राषि के रजिस्टर में में इस तिथि को अवेर राईट करके 7.2.2008 कर दिया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि टैण्डर के साथ इस ठेकेदार ने कोर्ड एफ0डी0/धरोहर

राषि जमा नहीं करवाई थी उपरोक्त के अतिरिक्त दूसरे संविदाकार द्वारा कोई धरोहर राषि जमा ही नहीं करवाई गई परन्तु फिर भी उसका टैण्डर स्वीकृत कर लिया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि दोनों टैण्डर/ठेकेदार इस टैण्डर की मूल षर्त को पूर्ण नहीं करते थे परन्तु उनके टैण्डर खोल कर कार्य आबंटित कर दिया गया जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाऐ व की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाऐ अन्यथा दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

¼**iii**½ डी0एन0आई0टी0 की षर्त के अनुसार इस कार्य हेतु सीमेन्ट विभाग की तरफ से ₹190/–प्रति बोरी की दर यह ठेकेदार को किया जाऐगा। जॉच में यह पाया गया कि इस कार्य के 5 चलित बिल तक किए गये कार्य के अनुसार कुल 9760 बोरी सीमेन्ट की आवष्यकता थी जिसमें से 7205 बैग विभाग द्वारा जारी किया गया षेष ठेकेदार द्वारा बाजार से खरीद कर लगाये गये। ठेकेदार द्वारा अपने स्त्तर पर सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग में लाना अनियमित है। क्योंकि ठेकेदार द्वारा खरीद कर प्रयोग में लाऐ गये सीमेन्ट की खरीद से सम्बन्धित कोई प्रमाण और उसकी गुणवता से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थो यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिषद के पास सीमेन्ट की भी कोई कमी नहीं थी। ₹190/–प्रति बोरी सीमेन्ट की जगह बाजार से लगभग ₹340/–प्रति बैग की दर पर सीमेन्ट की खरीद कर प्रयोग में लाया गया। अतः यह मामला परिषद प्रषासन व निदेषक षहरी विकास के विषेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उच्च स्त्तरीय जांच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता को नकारते हुए की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जा सके।

¼´½ वाउचर संख्या 4 माह 5/2010 (डिपाजिट वर्क)

कार्य का ना वार्ड नं0 2 में ओमनी होटल से रिषी भवन तक रास्ते का निर्माण

ठेकेदार का नाम अभय राणा

कार्य आंबटन पत्र संख्या 323–324 दिनांक 30.12.2009

कार्य की राषि ₹100000/–

माप पुस्तिका सं0 56 पृष्ठ 55 से 58 तक

¼1½ V.Mj Qke fdlh vkj Bsdsnkj dks tkjh fd;k tkuk o jsV fdlh vU; Bsdsnkj }kjk Hkjs tkus ckjs%&

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि इस कार्य हेतु जो तुलनात्मक विवरणिका तैयार की गई उसमें निमनलिखित 3 ठेकेदार दर्षाए गये (1) श्री ष्याम लाल (2) श्री अभय राणा (3)

श्री राम पाल जबकि साथ संलग्न तीन टैण्डर फार्म में से एक श्री अषोक कुमार को रसीद संख्या 43/16 के अन्तर्गत फीस लेकर जारी किया गया तथा डी0एन0आई0टी0 पर भी श्री अषोक कुमार को जारी किया गया दर्षाया गया जबकि ठेकेदार के हस्ताक्षर की जगह फल्यूड लगा कर ष्याम लाल लिखा गया है। अतः स्पष्ट किया जाये कि यह किस प्रकार सम्भव हुआ। जब टैण्डर फार्म श्री अषोक कुमार द्वारा विक्रय किया था। हस्ताक्षर ष्याम लाल के कहॉ से आ गये व ष्याम लाल की दरों को तुलनात्मक विवरणिका में लिया गया यह अनियमित है। अतः उच्च स्त्तरीय जॉच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

¼2½ इस कार्य की डी0एन0आई0टी0 में दर्षाई गई मात्रा व नेगोषेसन उपरान्त ठेकेदार द्वारा जो दरें दी गई उससे कार्य की मात्रा कुल ₹132701/–की बनती है जबकि आबंटन पत्र में इसे ₹100000/–दर्षाया गया है जबकि साथ संलग्न डी0एन0आई0टी0 जिसके अनुसार ठेकेदार को कार्य की मात्रा करने के आदेष दिए गये वह राषि ₹132701/– का है। अतः स्पष्ट किया जाये कि यह किस प्रकार कार्य ₹132701/–में निष्पादित हो सकता है जबकि अवार्ड लेटर में राषि ₹100000/–दर्षाई गई है।

¼3½ इस कार्य में सहायक अभियन्ता/नगर परिषद अभियन्ता द्वारा जो टैस्ट चैक डाला गया वह केवल कुल ₹21070/–का था जबकि नियमानुसार यह कार्य का 50% तक यानि कुल ₹50000/–का होना चाहिए था। अतः नियमों की अनुपालना न कर पूरा टैस्ट चैक न करने का कारण स्पष्ट किया जाऐ व उचित ठहराया जाऐ अन्यथा नियमों की अनुपालना न करने पर उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए किऐ गये कार्य को उचित ठहराया जाये।

¼4½ इस कार्य में एक अतिरिक्त मद, प्रोवाईडिंग फार्म तर्क इन ऐजिस ओफ स्लैब 30.20 रनिंग मीटर का दर ₹68/– प्रति रनिंग मीटर की दर पर भुगतान किया गया। यह दर कार्य का एच0पी0 एस0आर0 1999 की दर ₹35.10/–पर ठेकेदार का कार्य का कुल प्रीमियम 95.96% ₹33.68 कुल ₹68.78 जो ₹68/–प्रति रनिंग मी0 की दर पर निष्चित किया गया जबकि नियमानुसार यह कार्य में सामान आईटम के ऊपर ठेकेदार द्वारा दी गई दर के अनुसार प्रीमियम निकाल कर दिया जाना चाहिये था जो डी0एन0आई0टी0 की मद संख्या 6 प्रोवाईडिंग फार्म वर्क इन वर्टीकल सरफेस पर 73.48% उपर बनता है। अतः इस प्रीमियम पर नियमानुसार दर 35.10+25.79=₹60.89 बनता है। इस प्रकार प्रति रनिंग मीटर पर ₹7.11

(68–60.89) कुल 30.20 रनिंग मीटर पर ₹214.72 ⁄–अधिक भुगतान कर दिये गये। अतः इस राषि की उचित स्त्रोत से वसूली कर वापिस जमा करवाई जाऐ।

¼5½ इस कार्य में नीवे वर्णित मदों में कार्य की गलत गणना के कारण ₹64.50 ⁄–अधिक भुगतान कर दिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

	en dk fooj.k	Hkqxrku dh jkf'k ek=k	okLrfod ek=k	vUrj	nj	vf/kd Hkqxrku dh xb jkf'k
1	कटिंग इन अर्थ वर्क	46.53	40.18	0.35	120	42
2	ऐक्सा वेषन इन अर्थ वर्क	19.22	19.07	0.15	150	22.50
						64-50

अतः राषि को वसूल कर परिषद खाते में जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

¼6½ जॉच में पाया गया कि इस कार्य का कुल बिल ₹99308 ⁄– को भुगतान हेतु कार्यकारी अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका मे ंपारित नहीं किया गया जबकि भुगतान कर दिया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी से पारित करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाऐ तथा भविष्य में सुनिष्चित किया जाये कि भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से आदेष माप पुस्तिका में लेकर ही भुगतान किया जाये।

¼r½ वाऊचर संख्या 9 माह 5 ⁄ 2010

कार्य का नाम कर्मू मोड़ से लेकर हिरू गॉव की तरफ वार्ड नं0 3 में रास्ते का निर्माण (फेस–1)

कार्य की अनुमानित लागत ₹148800 ⁄–

ठेकेदार का नाम श्री एस0के0 धीमान

अवार्ड लैटर नं0 343–344 दिनांक 30.3.2010

माप पुस्तिका नं0 57 पृष्ठ 90 से 92 तक

¼1½ इस कार्य हेतु 3 ठेकेदारो ंद्वारा अपनी टेण्डर ⁄ दरें की गई उससे पहला टैण्डर फार्म श्री एल0के0 धीमान को जारी किया गया परन्तु उसकी डी0एन0आई0टी0 परिषद अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी बाकि दो टैण्डर फार्म श्री सुभाष चन्द व श्री राम पाल की जारी किऐ गये उनके द्वारा अपने जो टैण्डर भरे थे वह हस्ताक्षरित नहीं थे अर्थात वह एक वैद्य टैण्डर नहीं थें

परन्तु निगम अभियन्ता द्वारा उनके टैण्डर खोल कर उन्हें मान्य भी ठहराया गया तथा तुलनात्मक विवरणिका भी तैयार करवाई गई। अतः स्पष्ट किया जाएं कि बिना हस्ताक्षरित गलत टैण्डर को किन नियमों के अन्दर मान्य ठहराया गया उन्हें रद्द क्यों नहीं किया गया। यह सारा कार्य पूरी आबंटन प्रक्रिया पर प्रष्न चिन्ह लगाता है। अतः जॉच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼2½ यह कार्य ₹158889/—का निष्पादित किया गया जिसकी रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका 57 के पृष्ठ 89 से लेकर 92 तक में की गई। जॉच में पाया गया कि सहायक अभियन्ता/नगर परिषद अभियन्ता द्वारा कोई Test Check नहीं किया गया जबकि नियमानुसार कार्य का 50% टैस्ट चैक वांन्छित था। अतः नियमों की अनुपालना न करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा किए गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

¼Fk½ वाऊचर सं0 5 माह 5/11 (डिपाजिट फण्ड)

कार्य का नाम जिला पुस्तकालय का निर्माण

ठेकेदार का नाम श्री संजय सोनी

¼1½ उपरोक्त कार्य के लिए टैण्डर, कार्यालय पत्र संख्या 1352 दिनांक 6.5.2010 द्वारा मॉगे गये जिसमें टैण्डर फार्म विक्रय की तिथि 24.5.2010 सांय 4 बजे तक निर्घारित की गई थी तथा टैण्डर फार्म प्राप्त करने की तिथि दिनांक 25.5.2010 सांय 3 बजे तक दी गई थी तथा खोलने का समय उसी दिन सांय 3:30 का दिया गया था परन्तु अभिलेख की जॉच में पाया गया कि निगम अभियन्ता द्वारा टैण्डर 13 दिन बाद दिनांक 7.6.2010 को खोले गये परन्तु टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर 2 के पृष्ठ 8 पर इन टैण्डर को खोलने की तिथि 25.5.2010 ही दर्षाई गई है जो प्रधान नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी व निगम अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 1535 दिनांक 26.5.2010 के अन्तर्गत अधिषासी अभियन्ता, हि0प्र0लो0नि0 विभाग मण्डल धर्मषाला से प्रार्थना कि कार्य बहुत आवष्यक है व म्युनिसिपल इन्जीनीयर ट्रेनिंग पर गये है। अतः टैण्डर खोलने के लिए अपने सहायक अभियन्ता को तैनात करें। अतः स्पष्ट किया जाऐ कि जब निगम अभियन्ता थे ही नही तो उनके द्वारा टैण्डर 25.5.2010 को कैसे खोले गये। अगर टैण्डर 25.5.2010 को खोले गये थे निगम अभियन्ता द्वारा टैण्डर खोलने व रेट घोषित करने की तिथि टैण्डर फार्म पर 7.6.2010 क्यों दर्षाई गई।

¼2½ उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्य की धरोहर राषि ₹40000/–के रूप में श्री संजय सोनी द्वारा एफ0डी0आर0सं0 448743 दिनांक 7.3.2008 ₹400000/–जमा दर्षाई गई जबकि यह एफ0डी0 धरोहर राषि के रूप में मकलोड़गंज में होटल साहिबा के पास कार पार्किंग का निर्माण, जिसकी धरोहर ₹400000/–थी के टैण्डर के साथ जमा करवाई गई थी। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य हेतु ठेकेदार ने कोई धरोहर राषि जमा नहीं करवाई परन्तु विभाग द्वारा उनका टैण्डर स्वीकृत भी कर लिया और टैण्डर खोल कर उसे आबंटित भी कर दिया जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि सभी नियमों की अवहेलना करते हुए व ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुए कार्य आबंटित किया गाय जिसका कारण स्पष्ट किया जाऐ व दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

¼3½ इस बिल में मद संख्या 5 व 17 के अतिरिक्त मद के रूप सीमेन्ट कंकरीट 1:4:8 अन्डर फलौरिंग व फाऊंडेषन में डालने के कारण कुल (24.59+2.80) 27.39 घन मीटर की मात्रा हेतु ₹2340/–प्रति घन मीटर की दर पर कुल ₹64093/–का भुगतान किया गया जबकि डी0एन0आई0टी0 की मद संख्या 1, प्रोवाईडिंग एण्ड लेईन्ग सीमेन्ट कंकरीट 1:2:4 के लिऐ ठेकेदार ने जो अपनी दरें दी वह एच0पी0एस0 1999 की दरसें से ₹82.66% अधिक थी अतः नियमानुसार इस अतिरिक्त मद की दर भी एच0पी0एस0 आर 1999 की दर ₹1181.80/–प्रति घन मी0 पर ₹82.66% ₹976.87/–कुल राषि ₹2158.67/– प्रति घन मी0 की दर पर देय थी इस प्रकार परिषद द्वारा ठेकेदार को प्रति घन मी0 पर ₹181.33/–कुल ₹4967/–का अधिक भुगतान कर दिया गया। अतः इस राषि को वसूल कर व वापिस जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼n½ वाऊचर संख्या 1 माह 5/2011

कार्य का नाम समुदायिक भवन के समीप पार्किंग व व्यवसायिक परिसर का निर्माण

ठेकेदार का नाम मै0 सुरेन्द्रा ट्रेडर्ज

माप पुस्तिका नं0 63, पृ0 01 स 12 तक

कार्य आबंटन पत्र संख्या 504, 505 दिनांक 21.7.2010

कार्य की राषि ₹3687313/–

¼1½ कार्य आबंटन पत्र की षर्त संख्या 04 के अनुसार कार्य को महीने में पूर्ण करने की षर्त लगाई गई थी। अन्यथा 1% प्रतिदिन की दर पर दण्ड वसूली का प्रावधान रखा गया था अर्थात यह कार्य, कार्य आंबटन पत्र के जारी होने से 15 दिन बाद यानि 05.08.2010 से षुरू

होकर दिनांक 05.02.11 तक समाप्त हो जाना चाहिये था। अन्यथा ठेकेदार 1% यानि ₹3687/–प्रतिदिन की दर से दण्ड की वसूली की जानी अपेक्षित थी। जांच मे पाया गया कि वर्तमान में भी ठेकेदार द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं यिका गया है परन्तु विभाग द्वारा ठेकेदार पर कोई भी दण्ड नहीं लगाया गया है और न ही कोई वसूली की गई तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिस कारण स्पष्ट किया जाये तथा विलम्ब षुल्क की पूर्ण गणना कर व वसूली कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

इस कार्यालय की नस्ति में संलग्न प्रार्थना पत्रों के अनुसार इस कार्य के लिये कुल 11 ठेकेदारो ने प्रार्थना पत्र दिए परन्तु इस कार्य हेतु नीचे लिखे ठेकेदारो द्वारा टैण्डर के लिए आवेदन किया परन्तु जांच में पाया गया कि टैण्डर फार्म के लिए इनके द्वारा जमा की गई राषि की रसीद नहीं काटी गई और न ही जमा करवाई गई जिस का विवरण निम्नलिखित है।

Ø0 l0	Bdnkj dk uke	V.Mj Qke Qhl
1	श्री राजेष ठाकुर	800
2	श्री सुनील चंदेल	800
3	श्री नरेष पडयाल	800
4	श्री अनुज गुप्ता	800
5	श्री राम पाल	800
		4000

अतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस राषि का दुरूपयोग किया गया है। अतः जांच उपरान्त उचित कार्यवाही अमल में लाते हुये राषि को वसूल कर जमा करवाया जाये।

¼2½ vfrfjDr en e jkf'k ₹40403@&dk vf/kd Hkqxrku%&

इस कार्य में मद संख्या 1 (बी) अन्तर्गत कटिंग वर्क (जम्बर वर्क) 765.07 धन मीटर का भुगतान अतिरिक्त मद के रूप में ₹165/–प्रतिघन मीटर की दर पर कुल ₹126236/–का भुगतान किया गया। इस ₹165/–प्रति घन मीटर की दर का निर्धारण ठेकेदार द्वारा मद संख्या 1 (ऐक्सावेषन इन अर्थ वर्क इन फांउडेषन एड ट्रेचिस) पर जो दी

गई, षडयूल रेट 1999 के उपर उसका प्रतिषत निकाल कर किया गया जो ₹112.19 बनता था जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

एच.पी.एस.आर. 1999 के अनुसार कटिंग वर्क का बेसिक रेट	₹59.50
मद संख्या 1 पर ठेकेदार द्वारा दी गई दर के अनुसार प्रीमियम (88.57 %)	₹52.69
d|y	₹112-19

परन्तु ठेकेदार को मिट्टी के फेंकने के अतिरिक्त ₹52.81 प्रति घन मीटर की दर पर भुगतान किये गये जबकि डी0एन0आई0टी0 की मद संख्या 1 (ऐक्सवेषन इन अर्थवर्क इन फाऊंडेषन एण्ड ट्रेचिंस) में मिट्टी उठा कर फैंकने हेतु दरें बीच में सम्मिलित कर (डिस्कोजल विद आल लीड एंड लिक्ट) ली गई थी। अतः इस कटिंग वर्क की मद में मिट्टी उठाकर फेंकने हेतु प्रतिवर्ग मीटर के लिये ₹52.81/–का कुल राषि 765.07X52.81=₹40403/–का अधिक भुगतान किया गया है। इसे नियमानुसार सही ठहराया जाये अन्यथा राषि की उचित स्त्रोत से वसूली कर परिषद खाते में जमा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दर्षाई जाये।

¼?k½ okmpj l0 9 ekg 5@2010 ¼E;fufliy Q.M½

उपरोक्त वाउचर के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार ठेकेदार का उनके द्वारा वार्ड नं0 4 में किरपू मोड़ से पून्नू धराटी के घर की तरफ रास्ते के निर्माण बिल कुल ₹91613/–आय पुस्तिका संख्या 57 पृष्ठ 63 से 66 पर इन्द्राज की बकाया ₹41613/–का भुगतान किया गया। इस बिल की पहला भुगतान कुल ₹50000/–माह जनवरी 2010 मे किया गया था। जांच में पाया गया कि षेष बकाया राषि के भुगतान का कोई इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं लिया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाऐ व सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर ईन्द्राज लिया जाए व भविष्य में इस प्रकार के कोई भुगतान से पूर्व सम्बन्धित माप पुस्तिका में ईन्द्राज में लिया जाए ताकि किसी प्राकर के दोहरे भुगतान को रोका जा सके।

okgu%&

14 okguk d n : i;kx ckj%&

धर्मषाला के वाहनों की लाग बुकों तथा सम्बन्धित जांच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼1½ okguk d j[k&j[kko ¼**repair**½ ij vR;f/kd 0;;%&

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 6.9.2012 उत्तर में जो वाहनों की मुरम्मत पर खर्चा दिखाया है वह बहुत अधिक है। उपलब्ध आंकड़ों अनुसार वाहनों पर मुरम्मत का खर्चा वाहन की वास्तविक कीमत से बढ़ सकता है। नगर परिषद ने वाहन की चारीद व मुरम्मत पर किया गया खर्चा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। केवल 2007 या 2008 से मुरम्मत पर किया गया खर्चा ही उपलब्ध करवाया जबकि कुछ वाहन 1998 में भी खरीदे गये है। ऐसा प्रतीत होता है वाहनों की मुरम्मत पर नियन्त्रण नहीं है। अतः अंकेक्षण को वाहन खरीद व Repair पर किये गये खर्चे को उपलब्ध न कर पाने और वाहनों पर किये जा रहे अत्यधिक खर्च का कारण स्पष्ट किया जाये कुछ वाहनों की मुरम्मत पर किया गया खर्चा निम्नलिखित हैः–

Ø0 l0	okgu l0	[kjhn dh frfFk	okgu }kjk 0;; fd;s x;s fd0eh0	vof/k	ejEer ij [kpZ
1	एचपी–39–2585	2.1.2002	175360	1.1.7 से 31.3.12	162493
2	एचपी–39–5182	अगस्त 1992	207039	1.1.09 से 31.3.12	138208
3	एचपी–39–6554	दिसम्बर 1998	149221	7.1.7 से 31.3.12	219181
4	एचपी–68–2153	15.11.2008	23600	30.10.08 से 31.3.12	43463

¼2½ okgu ds VSad dh {kerk ls vf/kd rsy Mykok;k tkuk b'kkuk&

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 6.9.12 के उत्तर में जो गाड़ियों की औसत व टैंक की क्षमता अनुसार गाड़ी द्वारा प्रतिदिन की गई यात्रा, तेल की खपत व खरीद की जांच करने पर पाया कि नीचे वर्णित तेल की खरीद से तेल के टैंक की क्षमता से अधिक तेल डलवाया दर्षाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि तेल का दुरूपयोग किया गया है। अतः उच्च स्तरीय जाच उपरान्त व अधिक खपत किये गये तेल का मूल्य ₹58000/– वसूल कर परिषद खाते में जमा करवा कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये अैंक की क्षमता से अधिक गाड़ियो में डलवाये गये तेल का विवरण

निर्मलिखित है। लगभग 1458 लीटर अधिक तेल डलवाया दर्षाया गया जिस का मूल्य वर्तमान कीमत पर लगभग ₹58000 बनता है दर्षाया गया।

	fnukd	okgu l0	Vd dh {kerk	Vd e Mhty	{kerk l vf/kd
1	3.7.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	72	7
2	17.7.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	79	14
3	3.7.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	96	31
4	1.9.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर		–
5	15.9.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	69	04
6	20.9.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	95	30
7	8.10.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	84	19
8	18.10.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	95	30
9	3.11.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	89	24
10	18.12.10	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	69	04
11	28.1.12	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	111	46
12	3.2.11	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	112	47
13	14.2.11	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	123	58
14	23.2.12	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	120	55
15	3.7.11	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	87	22
16	25.3.2011	एचपी–39–2585 सूमो	65 लीटर	79	14
17	20.12.10	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	59	04
18	24.12.10	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	102	47
19	23.3.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	57	02
20	28.5.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	63	08
21	16.6.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	56	01
22	13.7.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	57	02
23	15.7.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	58	03
					472
24	1.8.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	56	01

25	23.8.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	56	01
26	31.12.11	एचपी–68–2153 जीप	55 लीटर	64	09
27	3.4.10	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	98	03
28	8.4.10	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	133	38
29	21.4.10	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	121	26
30	3.5.10	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	110	15
31	19.5.10	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	101	06
32	12.6.10	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	100	05
33	30.9.11	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	121	26
34	14.10.11	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	135	40
35	3.11.11	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	151	56
36	30.11.11	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	174	79
37	8.12.11	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	228	133
38	30.1.12	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	166	71
39	3.2.12	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	244	149
40	5.3.12	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	249	154
41	23.3.12	एचपी–39–6554 टिप्पर	95 लीटर	266	171
42	19.11.11	एचपी–39–2846	95 लीटर	98	03
				d|y	1458 yhVj

¼3½ fu/kkfjr vkSlr ls vf/kd okguks dk pyuk½&

अंकेक्षण मे पाया गया कि नगर परिषद की गाड़ियां पैट्रोल समाप्त होने के बावजूद भी सैकंड़ों कि0मी0 का सफर तय कर रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो वाहनो की औसत गलत निर्धारित की गई है। या फिर डीजल का दुरूपयोग किया गया है। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि गाड़ी डीजल या पेट्रोल के बिना ही चलती रहे। अतः इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिये। असैत से अधिक चलाये गये वाहनों का विवरण निम्नलिखित है।

okgu la0	vkSlr vof/k	fd0 eh0	Vadh ea Mhtu	ftruh rsy dh vko';drk gS	fcuk rsy ls ftruh fd0eh0

					y		okgu py
1	एचपी–39ए–2585	7	8.5.10 से 13.5.10	223	39	47	56 कि0मी0
2	एचपी–39ए–2585		14.5.10 से 11.6.10	439	60	62	14 कि0मी0
3	एचपी–39ए–2585	7	18.6.10 से 29.6.10	472	59	68	63 कि0मी0
4	एचपी–39ए–2585		8.1.11 से 21.1.11	445	53	64	77 कि0मी0
5	एचपी–68–2153	6.5	1.1.10 से 12.10.10	251	19	38	12.5 कि0मी0
6	एचपी–68–2153		26.10.10	376	49	58	58.5 कि0मी0
							392 कि0मी0
7	एचपी–68–2153	6.50	15.1.11 से 14.2.11	296	40	45	32.5 कि0मी0
8		4.′20	22.1.12 से 3.3.12	225	48	65	110.5 कि0मी0
9	एचपी–39–6554		15.7.10 से 29.7.10	327	70	73	19.5 कि0मी0
10			30.7.10 से 17.8.10	455	70	101	201.5 कि0मी0
11			1.5.11 से 10.5.11	276	53	65	78 कि0मी0
12			11.5.11 से 22.5.11	375	70	83	84.5 कि0मी0
13			23.5.11 से 7.6.11	334	70	75	32.5 कि0मी0
14			8.6.11 से 27.6.11	326	70	72	13 कि0मी0
15			28.6.11 से 14.7.11	353	70	78	52 कि0मी0
16			15.7.11 से 31.7.11	376	77	84	91 कि0मी0
17			1.8.11 से 17.8.11	378	77	84	45.5 कि0मी0
18			18.8.11 से 23.8.11	98	10	22	78 कि0मी0
19	एचपी–68–2846 टिप्पर	4.20	24.8.11 से 29.8.11	96	20	21	6.5 कि0मी0
20			20.8.10 से 20.10.10	426	93	102	104 कि0मी0
21			28.10.10 से 15.11.10	212	50	51	6.5 कि0मी0
22			14.7.11 से 6.9.12	357	48	85	240.5

							कि0मी0
							15.88 कि0मी0
23	एचपी—68—2846	4.20	7.9.11 से 29.9.11	311	74	75	4.2 कि0मी0
24			30.12.11 से 7.12.12	183	40	43	12.6 कि0मी0
25			28.1.12 से 13.3.12	392	89	94	21 कि0मी0
							1625.8 कि0मी0
26	5182 डम्पर	4	4.5.10 से 18.5.10	366	89	92	12 कि0मी0
27			19.5.10 से 30.5.10	288	70	72	8 कि0मी0
28			7.6.10 से 19.6.10	311	73	78	20 कि0मी0
29			12.7.11 से 28.7.10	306	70	76	4 कि0मी0
30			3.8.10 से 16.8.10	310	74	78	16 कि0मी0
31			17.8.10 से 27.8.10	290	70	72	8 कि0मी0
32			28.8.10 से 10.9.10	309	70	77	28 कि0मी0
33			13.9.10 से 22.9.10	294	70	74	16 कि0मी0
34			23.9.10 से 4.10.10	285	70	71	4 कि0मी0
35			5.10.10 से 16.10.10	285	70	71	4 कि0मी0
36			18.10.10 से 30.10.10	315	70	79	36 कि0मी0
37			1.11.10 से 10.10.10	288	70	72	8 कि0मी0
38			29.11.10 से 9.12.10	364	86	91	20 कि0मी0
39			10.12.10 से 29.12.10	321	80	85	20 कि0मी0
40			13.1.11 से 28.1.11	291	70	73	20 कि0मी0
41			29.1.11 से 11.2.11	321	70	80	40 कि0मी0
							1927.80 कि0मी0

15 e0 fgeky;u ekMu bUthfu;fjx odZl Tokykeq[kh e MLVfcu dh [kjhn dk ckjs esa&

okmpj la[;k 8 ekg 5@2010

उक्त वाउचर के अन्तर्गत ₹155250/—का भुगतान कर मै0 हिमालयन मोडरन इन्जीनियरिंग वर्क ज्वालामुखी से बिल संख्या 337 व 338 दिनांक 1.5.2010 से 30 डस्टबिन की खरीद की गई। इस खरीद में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई जिनका निपटारा कर की गई खरीद व भुगतान को उचित ठहराया जाए।

¼d½ इस खरीद हेतु अनुदान ₹209000/—अनुदान पत्र के0 जी0 आर0—पी0 एल0 जी0 एस0 डी0 पी0—1980—86 दिनांक 28.4.2010 द्वारा प्राप्त हुऐ, अभिलेख की जॉच में पाया गया कि नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस अनुदान के विरूद्ध डस्टबिन की खरीद हेतु निविदाऐं अनुदान प्राप्त होने के 15 दिन पूर्व दिनांक 13.4.2010 को पत्र संख्या 405—409 द्वारा मंगवाई गई जिसमें निविदाऐं प्राप्त करने व खोलने की तिथि 21.4.2010 दी गई। अतः स्पष्ट किया जाऐ कि जब अनुदान राषि प्राप्त नहीं हुई थी तो उससे पूर्व सामान खरीदने की प्रक्रिया किन परिस्थितियों में षरू हुई।

¼[k½ इस खरीद हेतु निविदा आमन्त्रण पत्र संख्या 405 से 409 दिनांक 13.4.2010 द्वारा आमन्त्रित की गई जिनमें 2 निविदा ज्वालामुखी से एक देहरा से व एक निविदा चण्डीगढ़ से आमन्त्रित की गई, यह डिस्पैच (405 से 409) नगर परिषद अभियन्ता द्वारा संचालित डिस्पैच से भेजे गये दर्षाये गसे, जॉच में पाया गया कि नगर परिषद अभियन्ता द्वारा संचालित डिस्पैच को की कोई डाक टिकट जारी नहीं की गई। अतः स्पष्ट किया जाऐ के डाक टिकट बिना यह निविदाऐं डाक में भेजे बिना किस प्रकार आमन्त्रित की गई।

¼x½ कार्यकारी अधिकारी द्वारा निविदा आमन्त्रण पत्र में केवल यह लिखा गया कि इस कार्य हेतु निविदाऐं आमन्त्रित की जाती हैए "Supply of Dustbin and Fitire Glaso Dustbin" इसमें न तो इन डस्टबिन की मात्रा दर्षाई गई न ही इनका साईज और न ही कोई अन्य specification जबकि निविदाकारों द्वारा अपनी निविदाओं में डस्टबिन का साईज (3x6) व अन्य के साथ दी गई। अतः स्पष्ट किया जाऐ की जब निविदा पत्र में कुछ नहीं लिखा गया था तो निविदाकारों को उनके द्वारा दी गई स्पेसिफिकेषन के बारे में कैसे पता चला। उपरोक्त भुगतानों के अन्तर्गत जो डस्टबिन खरीदे गये, इसके अतिरिक्त जो डस्टबिन खरीदे गये उनकी स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 55 व 66 पर ली गई जहॉ यह प्रमाण पत्र देकर स्टॉक में षेष षून्य कर दिया गया कि सभी डस्टबिन म्यूनिसिपल काऊंसिंल द्वारा वितरित कर दिए गये।

भण्डार रजिस्टर में सभी डस्टबिनों की गणना करके षेष बताया जाए। स्थाई वस्तुओं के भण्डार रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार उचित प्रकार से किया जाना सुनिष्चित करें।

16 ₹15000@&dk xyr Hkxrku&

वाउचर संख्या 40 माह 5/2010 के अन्तर्गत ₹15000/–का भुगतान मै0 सरीन टैन्ट एण्ड लाईड हाउस धर्मषाला को उसके बिल संख्या 738 दिनांक षून्य के अन्तर्गत 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक धर्मषाला में सम्पन्न हुए आई0पी0एल0 मैच में हैलीजन लाईट लगाने के फलस्वरूप किया गया। नगर परिषद ने पत्र संख्या 1285, दिनांक 26.4.2010 द्वारा आयुक्त धर्मषाला से इस राषि को भुगतान करने हेतु प्रार्थना की थी परन्तु अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अपने पत्र संख्या 668 दिनांक 4.5.2010 से इस बिल को नगर परिषद से अपने स्त्तर पर करने हेतु कहा गया जबकि नगर परिषद द्वारा न तो इस व्यय हेतु कोई प्रस्ताव पारित किया गया और न ही यह भुगतान परिषद निधि पर उचित प्रभार है क्योंकि आई0पी0एल0 एक निजी आयोजन है। उस पर परिषद द्वारा व्यय किया जाना उचित प्रभार नहीं है। अतः व्यय को प्रदेष सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से राषि की वसूली करके परिषद के खाते में जमा करवा कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

17 uxj ifj"kn }kjk viu deipkfj;k dk fn; x; vx/ku ₹104000@&lek;ktu@olyh u dju ckj&

अभिलेख की जॉच पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न कार्य करने हेतु अग्रधन प्रदान किये गये परन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा न तो इनका समायोजन बिल दिया गया और न ही यह राषियॉ वापिस जमा करवाई गई जबकि इनमें से कुछ राषियॉ ंतो प्रदान किये हुये लगभग 12 वर्ष बीत चुके है। नियमानुसार कार्य समाप्ति उपरान्त प्राप्त की गई अग्रधन राषि का समायोजन बिल तुरन्त समायेाजन हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था परन्तु इन कर्मचारियों द्वारा यह नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सम्बन्धित कर्मचरियों द्वारा इन राषियों का दुरूपयोग किया गया है। जो एक गम्भीर अनियमितता है। इस विषय को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 18 के अन्तर्गत भी नगर परिष के ध्यान में लाया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जो एक गम्भीर विषय है। अतः यह मामला प्रदेष सकार व निदेषक षहरी निकाय के विषेष ध्यान में लाया जाता है ताकि सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही

अमल में लाते हुऐ राषियों को वापिस वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाये। अग्रधन के रूप में प्रदान की गई राषियों का विवरण निम्नलिखित है।

Øekad	deZpkjh dk uke o inuke	Hkqxrku dh frfFk	jkf'k
1	जोगिन्द्र सिंह (क0 अभियन्ता)	7.11.2000	20000
	जोगिन्द्र सिंह (क0 अभियन्ता)	27.5.2003	30000
	जोगिन्द्र सिंह (क0 अभियन्ता)	27.5.2005	10000
	जोगिन्द्र सिंह (क0 अभियन्ता)	30.5.2007	20000
2	श्री भगवान सिंह (निरीक्षक)	6.12.2000	3000
3	श्री सुखदेव (मिस्त्री)	25.11.08	5000
	श्री सुखदेव (मिस्त्री)	11.8.11	1000
4	श्री विनोद कुमार (ड्राईवर)	3.6.2010	4000
5	श्री प्रेम कुमार (कर निरीक्षक)	27.2.2010	500
		24.9.2011	2000
		20.3.2012	2000
6	श्री अष्वनी कुमार (निरीक्षक)	29.8.2011	3000
7	श्री सुरेष कुमार (निरीक्षक)	————	1500
8	श्री उमेष कुमार (लेखाकार)	—————	2000
		dqy ;ksx	104000

18 LVkd jftLVjksa ds j[k j[kko ds lEcU/k esa%&

¼I½ जांच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा क्रय किये गये सामान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेष वित्त विभाग के अनुसार क्रय किये गये सामान का स्टॉक इन्द्राज क्रय किये गये सामान की प्रकृति के आधार पर अलग अलग पृष्ठ पर किया जाना अपेक्षित था जबकि क्रय किया गया सामान एक ही पृष्ठ पर दर्ज किया गया है। जिससे समय–समय पर सामान की षेष मात्रा का एक नजर में पता नहीं लगाया जा सकता है। अतः नियमानुसार स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

¼II½ LVkd dkokf"kd lR;kiu u fd;k tkuk%&

अभिलेखों की जॉच में पाया कि नगर परिषद की विभिन्न निधियों के स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी नहीं किया गया जबकि वित्त नियम की धारा 15 से 17 वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन आवष्यक था। अतः प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व भविष्य मे ंवार्षिक सत्यापन सुनिष्चित करते हुये की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 y/kq vkifŸk fooj.kh %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 fu"d"kZ%&

लेखों के रख रखाव में अत्यधिक सुधार की आवष्यकता है जिस हेतु अविलम्ब कार्यवाही अमल में लाई जोय तथा विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों व निपटारे हेतु बकाया पड़े लगभग 300 पैरों के समायेाजन हेतु वोन्छित कार्यवाही अमल में लाई जोय ताकि लेखों के रख रखाव मे ंसुधार हो सके।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

i"Bkdu l[;k %&V(11)–फिन(एल0ए0डी0) खण्ड–6 दिनांक, षिमला–171009,
प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित है :–

1 निदेषक शहरी विकास, हि0प्र0 षिमला–171002

ithdr: 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद धर्मषाला, जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्यवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतषीघ्र भेंजे।

3 वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0), हि0प्र0 षिमला–171003

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

ifjf'k"V ^d**
ijk&2 e of.kr

1 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 10@54 3@55

1	पैरा– 14	अनिर्णीत	

2 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 10@50 l 9@57&

1	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत	

3 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 10@57 l 03@58&

1	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत	

4 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@58 l 09@58

1	पैरा–2	अनिर्णीत	सार्वजनिक निर्माण विभाग से 253382 की वसूली

का मामला

5 vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 10@58 l 06@59

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत

6 vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@61 l 03@62

1	पैरा–12	अनिर्णीत
2	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत

7 vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@64 l 03@65

1	पैरा–9 (1, 3)	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (2, 9, 10, 13)	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–15 (एफ, जी, एच जे)	अनिर्णीत

8 vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 10@66 l 03@69

1	पैरा–10	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (बी सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–11)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (1 से 4)	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–15 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा–16 (2 से 5)	अनिर्णीत
8	पैरा–17 (2, 3)	अनिर्णीत
9	पैरा–18	अनिर्णीत

10	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत
11	पैरा–19	अनिर्णीत
12	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–21 (बी, सी)	अनिर्णीत
14	पैरा–21 (डी)	अनिर्णीत

9 vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@69 ls 03@70

1	पैरा–6, 7, 9	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (सी, डी)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (ए से जी)	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (ए से जी)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए से बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (सी) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (2, 5)	अनिर्णीत
9	पैरा–15 (2, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–16 (2 से 4)	अनिर्णीत
12	पैरा–17	अनिर्णीत

10 vads{k.k,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@70 ls 03@73

पैरा–3 (सी)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–9 (ए से जे)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ए से के)	अनिर्णीत
पैरा–11 (ए से ई)	अनिर्णीत
पैरा–12 (ए से सी)	अनिर्णीत

पैरा–13 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–14 (ए से एन)	अनिर्णीत
पैरा–15 (ए से जे)	अनिर्णीत
पैरा–15 (आई से के)	अनिर्णीत
पैरा–16 (1 से 7)	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–21 (1, 2)	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–23 (1, 2)	अनिर्णीत
पैरा–24 (ए से डी)	अनिर्णीत
पैरा–25	अनिर्णीत
पैरा–26	अनिर्णीत
पैरा–27 (1, 2)	अनिर्णीत
पैरा–28 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–29 से 32	अनिर्णीत

11 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@73 3@75

पैरा–3 (बी सी)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (ए से ई)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ए से डी)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–10 ए से एन)	अनिर्णीत
पैरा–10 ओ से आर)	अनिर्णीत
पैरा–11 (ए से ई)	अनिर्णीत
पैरा–12 (ए से डी)	अनिर्णीत

पैरा–13 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–14 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–15 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–16	अनिर्णीत
पैरा–17 (1 से 8)	अनिर्णीत
पैरा–18 (ए से एम)	अनिर्णीत
पैरा–19 (1 से बी)	अनिर्णीत
पैरा–19 सी (2 से 4)	अनिर्णीत
पैरा– 20 (ए से ई)	अनिर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22 (ए से ई)	अनिर्णीत
पैरा–23 (ए से डी)	अनिर्णीत
पैरा–24 (ए से एन)	अनिर्णीत
पैरा–25 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–26 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–27	अनिर्णीत
पैरा–28 से 37	अनिर्णीत
पैरा–38 (ए, बी)	अनिर्णीत
पैरा–39	अनिर्णीत
पैरा–40 (बी से के)	अनिर्णीत
पैरा–41 से 50 तक	अनिर्णीत

12 vadk{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 14@75 ls 3@78

पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (क) (1)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–8 से 19	अनिर्णीत
पैरा–20 (2 से 15)	अनिर्णीत

पैरा–20 (17,19,21,22,24,26,27,28)	अनिर्णीत
पैरा–21 से 25	अनिर्णीत
पैरा–26 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–27 से 41	अनिर्णीत
पैरा–43 (1 से 6, 9 से 11, 13 से 19)	अनिर्णीत
पैरा–44 (4 से 10)	अनिर्णीत

13 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@78 l 03@81

पैरा–3 (बी) (2, 3)	अनिर्णीत
पैरा–3 (सी)	अनिर्णीत
पैरा–5, 6	अनिर्णीत
पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
पैरा–7 (सी) (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ए, बी)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ए से डी)	अनिर्णीत
पैरा–9 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–11 से 14	अनिर्णीत
पैरा–15 (ए से बी)	अनिर्णीत
पैरा–16 (ए से बी)	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–19 (ए)	अनिर्णीत
पैरा–20 (ए से एच)	अनिर्णीत
पैरा–21, 22	अनिर्णीत
पैरा–23 (ए से बी)	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत
पैरा– 25 (ए से सी)	अनिर्णीत

पैरा–26 (1 से 18)	अनिर्णीत
पैरा–27 (1 से 6)	अनिर्णीत
पैरा–28 (1 से 25)	अनिर्णीत
पैरा–29 (1, 2, 3) से (1 से 9)	अनिर्णीत
पैरा–30 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–31	अनिर्णीत
पैरा–32 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–33 (ए)	अनिर्णीत
पैरा–34	अनिर्णीत
पैरा–35 (ए, बी, सी) (1, 2)	अनिर्णीत
पैरा–35 (डी)	अनिर्णीत
पैरा–35 (ई) (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–35 (एफ) (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–35 (जी)	अनिर्णीत
पैरा–36 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–37 (ए, बी)	अनिर्णीत
पैरा–38 (ए, बी)	अनिर्णीत
पैरा–39	अनिर्णीत
पैरा–40	अनिर्णीत
पैरा–41 (ए से एफ)	अनिर्णीत
पैरा–42 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–43 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–43 (ए से ई)	अनिर्णीत
पैरा–44 (ए से डी)	अनिर्णीत
पैरा–45 ए (1 से 6)	अनिर्णीत
पैरा–45 (बी, सी) (1 से3)	अनिर्णीत
पैरा–45 (डी से जी)	अनिर्णीत
पैरा–46 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–47 (ए से एफ)	अनिर्णीत

पैरा–48	अनिर्णीत
पैरा–49 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–50	अनिर्णीत
पैरा–51 (ए से सी, एफ से के)	अनिर्णीत
पैरा–52 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–53, 54	अनिर्णीत
पैरा–55 (1 से 11)	अनिर्णीत
पैरा–56	अनिर्णीत
पैरा–57 (1, 2)	अनिर्णीत

14 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@81 l 03@84

पैरा–(बी से एफ)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ए 2)	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (1 से 7)	अनिर्णीत
पैरा–9 (1 से 7)	अनिर्णीत
पैरा–10 (2, 3)	अनिर्णीत
पैरा–11 (1 से 5)	अनिर्णीत
पैरा–12 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–13 (1, 3, 4)	अनिर्णीत
पैरा–14 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–15 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–16 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–18 (1 से 5)	अनिर्णीत

पैरा–19 (1 से 5)	अनिर्णीत
पैरा–20 (1 से 7, 9 से 12, 14 से 36)	अनिर्णीत
पैरा–21 (1 से 9)	अनिर्णीत
पैरा–22 (1 से 4, 6 से 8)	अनिर्णीत
पैरा–23 (1 से 7)	अनिर्णीत
पैरा–24 (1 से 9)	अनिर्णीत
पैरा–25 (1 से 6)	अनिर्णीत
पैरा–26 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–27	अनिर्णीत
पैरा–28 (1, 2)	अनिर्णीत
पैरा–29	अनिर्णीत
पैरा–30 (1 से 17)	अनिर्णीत

15 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@84 l 03@87

पैरा–3 (बी से एफ)	अनिर्णीत
पैरा–5 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–6 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–7 (1 से 9)	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–9	अनिर्णीत
पैरा–10 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–11 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–12 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–13	अनिर्णीत
पैरा–14 (ए से एफ)	अनिर्णीत
पैरा–15 (ए से डी)	अनिर्णीत
पैरा–16 (1 से 3)	अनिर्णीत

पैरा–17, 18	अनिर्णीत
पैरा–19 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–20 (ए से एच)	अनिर्णीत
पैरा–21 (1)	अनिर्णीत
पैरा–21 (2) (1)	अनिर्णीत
पैरा–21 (2) (2, 4)	अनिर्णीत
पैरा–21 (3) (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–22 (4)	अनिर्णीत
पैरा–22 (1) (1, 2)	अनिर्णीत
पैरा–22 (1) (4 से 28)	अनिर्णीत
पैरा–22 (2) (1 से 43)	अनिर्णीत
पैरा–23 (1 से 14)	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत

16 ijh{kd egkn; dh fnukd 6-8-88 dh fujh{k.k fjikV%& निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई यह आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

17 <u>vd{k.k ,o fujh{k.k ifrou vof/k 04@87 l 03@90</u>

पैरा–3 (ख) (1)	अनिर्णीत
पैरा–3 (ख) (2)	अनिर्णीत
पैरा–3 (ख) (3 से 6)	अनिर्णीत
पैरा–3 (ग)(1)(1)	अनिर्णीत
पैरा–3 (ग)(2)(1)	अनिर्णीत
पैरा–3 (ग)(2)(2)	अनिर्णीत
पैरा–5 (क) (2) (3)	अनिर्णीत
पैरा–6 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
पैरा–8, 9	अनिर्णीत

पैरा—10 (1 से 8)	अनिर्णीत
पैरा—11 (12)	अनिर्णीत
पैरा—12 (क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
पैरा—12 (5, 6, 7)	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—14 (2, 3, 4)	अनिर्णीत
पैरा—15 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा—17	अनिर्णीत
पैरा—19	अनिर्णीत
पैरा—20 (1 से 7)	अनिर्णीत
पैरा—21 (1)	अनिर्णीत
पैरा—21 (11) (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा—23 (3)	अनिर्णीत
पैरा—21 (4)	अनिर्णीत
पैरा—21 (5) (ख)	अनिर्णीत
पैरा—21 (6 से 15)	अनिर्णीत
पैरा—21 (16) (1 से 18)	अनिर्णीत
पैरा—21 (17)	अनिर्णीत
पैरा—21 (18)	अनिर्णीत
पैरा—22 (1 से 10)	अनिर्णीत
पैरा—22 (11)(क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा—21 (12) (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा—22 (13 से 21)	अनिर्णीत
पैरा—22 (22) (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा—22 (22)	अनिर्णीत
पैरा—22 (23) क, ख, ग	अनिर्णीत
पैरा—22 (24, 25)	अनिर्णीत
पैरा—22 (26) (क से घ)	अनिर्णीत
पैरा—22 (27) (क से ग))	अनिर्णीत

पैरा–22 (29, 30)	अनिर्णीत
पैरा–23 (1) (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा–23 (2 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–23 (54 से 11)	अनिर्णीत
पैरा–23 (12) (क)	अनिर्णीत
पैरा–23 (12) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–23 (13 से 23)	अनिर्णीत

18 vdk{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@90 ls 03@91

पैरा–3 (ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा–3 (घ) (2)	अनिर्णीत
पैरा–3 (ङ, च, छ)	अनिर्णीत
पैरा–4	अनिर्णीत
पैरा–5 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा–8 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
पैरा–9, 10, 11, 12	अनिर्णीत
पैरा–13 (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा–15 से 20	अनिर्णीत
पैरा–21 से 27	अनिर्णीत
पैरा–29 से 43	अनिर्णीत

19 xr vds{k.kks& xq.k vkifr foojf.kdk;ks&

lkjkuh vkifr foojf.kdkvks d fuEufyf[kr en vHkh rd Hkh vfu.khZr gSA buds fuiVkjs gsrq vko';d dk;Zokgh vkxkeh vds{k.k ij iLrqr dh tkuh lqfuf'pr dh tk;A

Ø0 l0	vkd{k.k vof/k	enk dk fooj.k
1	5/59 से 3/60	14
2	4/61 से 3/62	3 (बी), 6(पी) 10, 12, 26
3	4/62 से 3/63	14, 34, 35, 38, 40, 46, 57 (बी) 60, 65, 67, 72, 78, 82(पी) तथा 84
4	4/63 से 3/64	2,3,15,21,24,26,27,29,30 से 34,44 से 48,49 (बी() 50,53 से 59,61 से 64
5	4/64 से 3/65	1 (पी) 5,8,23,24,30,33 (बी)35,41,42,45,52 (बी)57,60,65,68,73,74,75,76,77 बी,80,84 (पी)तथा 87
6	4/65 से /66	2 से 4,9,11 से 15, 17 (पी)19 से 21,23 से 28, 31 (बी) 32 से 39, 4144,46,47,49 (पी)तथा 52
7	10/66 से 3/69	1 से 7, 9 से 20,22 से 23
8	4/69 से 3/70	1 से 17, 19 से 22,24 से 28,29 (ए बीडी) 30 से 53,55 से 65
9	4/70 से 3/73	1 से 118
10	4/73 से 3/75	1,3,7,8 (सी,ई)9,10 (ए बी सी) 11, (1,2) 12 से 15, 17 से 20,25,27 से 35,36 (1, 2, 3)37,38 (ए से एफ) 39, 40 से 45,47,47(ए)48 से 53,55,57,62 से 90,92 से 106,107 से 131,132 (ए से एच) 133 से 140
11	4/75 से 3/78	1 से 9,12,13 से 29,31 से 48,51 से 60,62,64 से 86,88 से 123

19 <u>vkd{k.k ,oa fujh{k.k ifronu vof/k 04@91 ls 03@98</u>

पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–3 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–3 (घ) (i ii iii iv v)	अनिर्णीत
पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
पैरा–5 (घ,ङ,च)	अनिर्णीत
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत

पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (च)	अनिर्णीत
पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ञ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ट)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ठ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ड)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ढ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ण)	अनिर्णीत
पैरा–7 (त से न)	अनिर्णीत
पैरा–7 (फ से ल)	अनिर्णीत
पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ii)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत
पैरा–9 (च)	अनिर्णीत
पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ii)	अनिर्णीत
पैरा–10 (iii)	अनिर्णीत
पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत
पैरा–13	अनिर्णीत
पैरा–14	अनिर्णीत
पैरा–16	अनिर्णीत
पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत

पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–21 (6)	अनिर्णीत
पैरा–21 (13)	अनिर्णीत
पैरा–21 (22)	अनिर्णीत
पैरा–21 (24)	अनिर्णीत
पैरा–21 (27)	अनिर्णीत
पैरा–21 (32)	आंशिक निर्णीत
पैरा–21 (33)	आंशिक निर्णीत
पैरा–21 (34)	आंशिक निर्णीत
पैरा–21 (35)	आंशिक निर्णीत
पैरा–21 (37)	अनिर्णीत
पैरा–21 (38)	अनिर्णीत
पैरा–21 (39)	अनिर्णीत
पैरा–21 (40)	आंशिक निर्णीत
पैरा–21 (41)	अनिर्णीत
पैरा–21 (42)	अनिर्णीत
पैरा–21 (44)	अनिर्णीत
पैरा–21 (45)(क,ख)	अनिर्णीत
पैरा–21 (45) (घ)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46) (क)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(ग)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(घ)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(ङ)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(च)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(द)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(न)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(फ)	अनिर्णीत
पैरा–21 (46)(भ)	अनिर्णीत

पैरा—21 (46)(म)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(य)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(र)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(ह)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(त्र)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(2)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(4, 5,6)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(8, 9,10)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(12)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(14,15,1617)	अनिर्णीत
पैरा—21 (क) (19)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(33,36क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(34)	अनिर्णीत
पैरा—21 (46)(क)(35)	अनिर्णीत
पैरा—22 (2) (3) (4) (5)	अनिर्णीत
पैरा—22 (7)	आंशिक निर्णीत
पैरा—22 (8)	अनिर्णीत
पैरा—22 (9)	आंशिक निर्णीत
पैरा—22 (10)	आंशिक निर्णीत
पैरा—22 (11, 12, 13)	अनिर्णीत
पैरा—22 (15)	अनिर्णीत
पैरा—22 (17, 118)	अनिर्णीत
पैरा—22 (20)	अनिर्णीत
पैरा—22 (22, 23, 24)	अनिर्णीत
पैरा—22 (30, 31, 32, 33)	अनिर्णीत
पैरा—22 (36)	अनिर्णीत
पैरा—22 (38)	अनिर्णीत

पैरा–22 (43, 44)	अनिर्णीत
पैरा–22 (47)	अनिर्णीत
पैरा–22 (50)	अनिर्णीत
पैरा–22 (52, 53, 54)	अनिर्णीत
पैरा–22 (57 से 96 तक)	अनिर्णीत
पैरा–22 (98, 99)	अनिर्णीत
पैरा–22 (101, 102)	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24 (ख, ग, ङ)	अनिर्णीत
पैरा–25 (क, ख ग)	अनिर्णीत
पैरा–26 (क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
पैरा–26 (च, छ, ज, झ, ञ)	अनिर्णीत
पैरा–26 (ट, ठ)	अनिर्णीत

20 vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@98 l 03@2007 rd

पैरा–1	अनिर्णीत
पैरा–4 (1) (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा–5 (2) (क)	अनिर्णीत
पैरा–5 (2) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–5 (2) (ग)	अनिर्णीत
पैरा–5 (2) (घ)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
पैरा–7 (7)	अनिर्णीत
पैरा–7 (10)	अनिर्णीत
पैरा–7 (16) (क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
पैरा–8 (i)(ii)(iii)	आंशिक निर्णीत

पैरा–10 (ख, ग)	अनिर्णीत

21 vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@2007 ls 03@2010

पैरा–3	अनिर्णीत
पैरा–4 (i)(क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (i)(ख)	अनिर्णीत
पैरा–4 (i)(ग)	अनिर्णीत
पैरा–4 (i)(घ)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ii)(क)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ii)(ख)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ii)(ग)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ii)(घ)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ii)(ङ)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ii)(च)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7	अनिर्णीत
पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (i)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (ii)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (iii)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (iv)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ख) (v)	अनिर्णीत

पैरा—10 (ख) (vi)	अनिर्णीत
पैरा—11	अनिर्णीत
पैरा—12	अनिर्णीत
पैरा—12 (i)	अनिर्णीत
पैरा—12 (ii)	अनिर्णीत
पैरा—12 (iii)	अनिर्णीत
पैरा—12 (iv)	अनिर्णीत
पैरा—12 (v)	अनिर्णीत
पैरा—12 (vi)	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—13 (i)	अनिर्णीत
पैरा—13 (ii)	अनिर्णीत
पैरा—13 (iii)	अनिर्णीत
पैरा—14	अनिर्णीत
पैरा—14 (ii)	अनिर्णीत
पैरा—14 (iii)	अनिर्णीत
पैरा—14 (iv)	अनिर्णीत
पैरा—15	अनिर्णीत
पैरा—16	अनिर्णीत
पैरा—17 (i)	अनिर्णीत
पैरा—17 (ii)	अनिर्णीत
पैरा—18	अनिर्णीत
पैरा—19	अनिर्णीत
पैरा—19 (क)	अनिर्णीत
पैरा—19 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—20 (क) (i)	अनिर्णीत
पैरा—20 (क) (ii)	अनिर्णीत
पैरा—20 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—20 (ग)	अनिर्णीत

पैरा–20 (ग) (i)	अनिर्णीत
पैरा–20 (ग) (ii)	अनिर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–22 (i)	अनिर्णीत
पैरा–22 (ii)	अनिर्णीत
पैरा–22 (iii)	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत